



श्रमिक स्मारिका

राष्ट्रीय श्रम दिवस-“विश्वकर्मा जयन्ती”

17 सितम्बर, 1991



भारतीय मजदूर संघ

बिहार प्रदेश

राष्ट्रहित !

उद्योगहित !!

मजदूरहित !!!



श्रमिक स्मारिका

“राष्ट्रीय श्रम-दिवस : विश्वकर्मा जयन्ती”

१७ सितम्बर, १९९१



भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश

प्रकाशक

सुरेश प्रसाद सिन्हा

सम्पादक मण्डल

रामकिशोर पाठक

विजय वत्स

सत्पादकोय

देशभक्त बांधवों,

अपने प्रिय भारतवर्ष पर एक विहंगम दृष्टि डालिए ! स्वातंत्र्योत्तर चार दशकों में एक विचित्र प्रयोगधर्मी-विकृति रूपायित हो चुकी है। अकुशल अदूरदर्शी नेतृत्व और ब्रिटिश मानसिकता से ग्रस्त शासन शैली की इस अवैध कन्या की भ्रामक कलाएँ आज कई रूपों में दृष्टिगत हो रही हैं। कहीं वह प्रगतिशीलता के नाम पर शाश्वत-सनातन-संस्कृति की सौत बनी बैठी है तो कहीं प्राचीन विद्याओं की स्वामिनी बनने का व्यर्थ हठ करती है। कहीं वह वैशाखियों पर खड़ी, थकी-सी मार्क्सवादी क्रांति के रूप में दीखती है तो कहीं सामाजिक-न्याय का दम भरती हुई पूतना-सी परिलक्षित होती है। कहीं वह अल्पसंख्यक-साम्प्रदायिकता के रूप में ताड़का की तरह अट्टहास करती है तो कहीं छद्म-धर्मनिरपेक्षता रूपी सुरसा की तरह उजागर होती है कहीं वह बलात्कार और अपहरण का क्रूर व्यापार करती है तो कहीं नक्सलियों और आतंकवादियों की ए० के०-47 राइफलों में बैठी किसी शिकार की बाट जोहती रहती है। इस विकृति का मान तो देखिए। राजनीति अपनी समस्त दासियों के साथ इसके शृंगार में सहर्ष लिप्त है। फटेहाल मूल्योंवाली बौद्धिकता तथाकथित मानवाधिकार-वादियों की धुन पर इसकी विरुदावली गाती है और व्यवस्था इसके आमोद के लिए विवश-दीन-निर्दोषों की छाती पर लास्यलीला करती है। देश की वागडोर जिन चार्वाक-शिष्यों ने संभाल रखी है, वे विदेशों से ऋण ले-लेकर इस मानिनी की उदस्पूर्ति कर रहे हैं।

लेकिन, हताश होने की नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने की नहीं, संनद्ध होने की आवश्यकता है। एकान्त चिन्तन की नहीं, संघटित होने की आवश्यकता है। हमें अब सतर्क और संकल्प युक्त होकर यह कठोर व्रत-धारण करना ही पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्र का मनोबल टूटने नहीं देंगे। अपनी परम्परा और तेजोमयी संस्कृति का स्वाभिमान मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूर्वोक्त विकृति का प्रयोग चलने नहीं देंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी पूँजीवाद के चंगुल से स्वदेश को मुक्त करके आर्थिक आत्म निर्भरता के लिए असाधारण श्रम करेंगे। क्षेत्रीय अहं और भौतिक-स्वार्थ के वशीभूत, राष्ट्र की एकात्मता को खंडित करने की चेष्टा करनेवाले मदांधों का सर्वनाश कर देंगे और उन्हें बता देंगे “राष्ट्र की सहिष्णुता की सीमा अब समाप्त हुई ! राष्ट्र की प्रतिष्ठा का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बंद करो। अरे मातृद्रोहियों ! जीना है तो भारत की सीमा से बाहर निकल जाओ।” पूरे विश्व को यह दिखा देंगे कि अपनी मातृभूमि, भक्ति-भाव-संपर्श से अनुप्राणित कोटि-कोटि बलिदानियों की समर्पित सेवा से आज भी सौभाग्यवती है तभी तो अपनी अपार लोक-उर्ज से, प्राकृतिक संसाधनों से, स्वदेशी मेधा और क्षमता से, देश-काल और संस्कृति के अनुरूप योजनाओं से, सामाजिक बंधुत्व और सर्व-सुलभ नियोजन से, आय के समवितरण एवं समवेत-श्रम-साधना से राष्ट्र को परमवैभव के शिखर पर ले जाने का पथ प्रशस्त होगा।

इतिशुभम् ! वंदे मातरम् !!



हमारे नारे

भारत माता की	—	जय हो ।
भारतीय मजदूर संघ	—	अमर रहे, अमर रहे ।
देश के हित में करेंगे काम	—	काम का लेंगे पूरा दाम ।
देश की रक्षा पहला काम	—	सबको काम, बाँधो दाम ।
भाय-विषमता समाप्त हो	—	एक दस अनुपात हो ।
पूँजीवाद, सरकारीवाद	—	शोषण करते दोनों साथ ।
गलत आंकड़े तोड़ दो	—	महँगाई वेतन जोड़ दो ।
असली वेतन सबको दो	—	मूल्यों का नियंत्रण हो ।
नई जवानी भगवा रंग	—	मजदूरों का मजदूर संघ ।
हमारा राष्ट्रीय श्रम-दिवस	—	विश्वकर्मा जयन्ती ।
ओटोमेशन नहीं चाहिए	—	नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।
देश भक्त मजदूरों	—	एक हो, एक हो ।
धन की पूँजी श्रम का मान	—	कीमत दोनों एक समान ।
श्रम की नीति श्रम का मान	—	माँग रहा मजदूर-किसान ।
देश के कोने-कोने से श्रमिकों ने ललकारा है	—	उद्योगों में साझेदारी यही हमारा नारा है ।
मेहनत को पैसा समझो	—	मील-पूँजी में हिस्सा दो ।
मजदूर फँक्टी देश का ध्यान	—	तीनों का हित एक समान ।
काम का अधिकार	—	मौलिक अधिकार ।
लाल गुलामी छोड़कर	—	बोलो वन्दे मातरम् ।
पूँजी और पसीने का	—	हक बराबर देना होना ।

With Best Compliments From :

Gram : VINAIKA

Phone : Fact. : 20860
25277

Show Room : 25135 PP

OM OAL & OIL MILLS

Manufacturers & Order Suppliers

Factory :
UPPER CHUTIA
Ranchi

Show Room :
Agricultural Market Yard
Ranchi

सामाजिक विखण्डन के कारण

भा० दत्तोपंत ठेंगडी

सामाजिक क्षेत्र में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह सही है कि वर्णव्यवस्था का अस्तित्व नहीं रह गया है और जाति-प्रथा औद्योगिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण काल बाह्य हो गई। परन्तु राष्ट्रीय एकता को गंभीर हानि पहुंचाते हुए जातिवाद बढ़ता है। इसका कारण यह है कि सत्ता के भूखे राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और कपट पूर्ण राजनीति के द्वारा निर्दोष सिद्धान्त को भी अत्यन्त विवादास्पद बना दिया है।

आरक्षण सम्बन्धी मामला इसी तरह का है। यह सिद्धान्त तो परिवार नामक इकाई के अस्तित्व में आने जितना पुराना है और परिवार के वयोवृद्ध, अपंग और अक्षम सदस्यों के हित और कल्याण के लिए परिवार के अन्य सदस्य स्वेच्छा से कष्ट सहने एवं बलिदान करने के लिए सिद्ध रहते आए हैं। लेकिन पारिवारिक वातावरण के कारण ही यह सम्भव होता आया है। इसी आधार पर संविधान सभा ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था। परन्तु राजनेताओं ने साम्राज्यवादियों की “फूट डालो राज करो” की नीति के आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के उद्देश्य से इसका दुरुपयोग किया और इसी से समस्या उत्पन्न होकर उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। इस विषाक्त वातावरण में आज सम्बन्धित व्यक्ति कोई तर्कपूर्ण और न्यायोचित बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें इस सच्चाई का पता नहीं है कि संविधान में आरक्षण के लिए ‘वर्ग’ शब्द का प्रयोग किया गया है, जाति का नहीं। वे इस तथ्य को भी भुला बैठे हैं कि आरक्षण व्यवस्था के दोषपूर्ण क्रियान्वयन ने निम्न लोगों

में से निम्नतम को आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दिया है। इसलिए मौजूदा वातावरण में आरक्षण के शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार की बात समझने को वे तैयार नहीं हैं। अतः सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि समस्या के समाधान की किसी सांस्थनिक व्यवस्था करने से पहले लोगों की मनोभूमिका ठीक की जाए। इस हेतु राष्ट्रीय चेतना के स्तर को सबसे पहले ऊंचा उठाना होगा।

इस सम्बन्ध में डा० बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि “समान सामाजिकता का भाव तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति एक जैसी गतिविधियों में संलग्न होकर उसमें समान रूप से भागीदार बनता है तथा उन्हीं अनुभूतियों का अनुभव करता है जो उन सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेने वाले अन्य व्यक्ति अनुभव करते हैं। इस सामूहिक गतिविधियों में मिली सफलता को वह अपनी सफलता और उनमें प्राप्त विफलता को अपनी विफलता मानता है। सुख-दुःख की भावनाओं की यह समान अनुभूति ही एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से जोड़ती है और उससे ही समाज का निर्माण होता है। जाति व्यवस्था इस सामूहिक गतिविधि को रोकती है और उसे रोककर उसने हिन्दुओं को एक एकीकृत और स्वत्व की चेतना से युक्त समाज-जीवन का निर्माण करने करने से रोका है।”

लेकिन इस तथ्यपरक विश्लेषण के साथ ही बाबा साहब ने यह भी कहा था कि यह कहना कि यह देश जाति और पंथों में बंटा हुआ है और संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था किए

बगैर इस देश को एक एकीकृत स्वशासी समुदाय नहीं बनाया जा सकता, एक ऐसा तथ्य है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अल्पसंख्यकों को यह बात भी मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि आज हफ भले ही विभिन्न पंथों और जातियों में बंटे हुए हों, हमारा आदर्श एकीकृत भारत ही है। अतः अल्पसंख्यकों द्वारा जिन या अनजाने में भी कोई ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जो इस आदर्श को बलि चढ़ाती हो।

इस लोकप्रिय मानसिक भावना के अतिरिक्त अपने देश के संविधान ने वर्तमान संकट के निदान का उपाय भी बताया है। इस सम्बन्ध में श्री गेलण्टर का निम्न कथन महत्वपूर्ण है :

“ऐतिहासिक दृष्टि से जनसंख्या के पिछड़े वर्गों के साथ विशेष व्यवहार करने की भारतीय व्यवस्था परिमाण और व्यापकता की दृष्टि से अभूतपूर्व है। अत्यन्त व्यापक और समाज में मान्यता प्राप्त स्पष्ट दिखाई देने वाली भीषण असमानता की हालत में भी भारत ने समानता के सिद्धान्त को एक आधारभूत जीवन मूल्य के रूप में अपनाया है। उसने अपनी संवैधानिक नीतियाँ भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही वर्गों से सम्बन्धित गहरी असमानताओं को दूर करने के लिए सुनिश्चित की हैं। इसीलिए इन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से एक ऐसे व्यापक-कार्यक्रम की व्यूह रचना की गई है जिसे मैं सामूहिक क्षतिपरक भेदभाव की नीति कह सकता हूँ। विश्व-इतिहास में राष्ट्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के उचित दावों की उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति को देखकर मैं समझता हूँ कि यह कहना पूरी तरह सही होगा कि भारत में पिछले तीस वर्षों में इस सामूहिक क्षतिपरक भेदभाव की नीति को भले ही हमेशा पूरी कठोरता और प्रभावशीलता के साथ न लागू किया गया हो, फिर भी इसका क्रियान्वयन उल्लेखनीय दृढ़ता सातत्यता और उदारता के साथ किया गया है।”

इसके अतिरिक्त गेलण्टर का यह भी अभिमत है कि “न्यायालय औपचारिक समानता और क्षतिपरक न्याय की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच अस्थायी सतुलन कायम करके भीषण संकटों को टाल तो सकते हैं किन्तु, उन

नीतियों से जुड़ी विपुल धनराशि और प्रभावहीनता की समस्याओं का हल वे नहीं निकाल सकते।”

इस विषय में डा० शिवा रमैया का कहना है कि “कठिनाइयाँ उस समय और अधिक बढ़ जाती हैं जब हम यह सोचते हैं कि मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत की गई समानता के अधिकार की व्यवस्था का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के साथ मेल नहीं बैठता और उनमें विरोधाभास मौजूद है। ये विरोधाभास आंशिक रूप से संसाधनों की कमी का परिणाम हैं, जिन्होंने अयोग्यताओं का निवारण करके अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने से राज्य को आज तक रोक रखा है और जिनके बिना नीति-निर्देशक सिद्धान्त साधनहीन गरीब व्यक्तियों का मखौल उड़ाते प्रतीत होते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के अभाव में बेरोजगार व्यक्ति न तो अपने काम के अधिकार को सुरक्षित कर पाता है और न ही साधनहीन व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। अनुच्छेद 16 में वर्णित समानता से अधिकार से सम्बन्धित योग्यता और अनुपात की अवधारणा में सन्तुलन की व्यवस्था ऐसी समस्याओं को जन्म देती है, जो उनकी अन्तर्हित असंगतियों से बिल्कुल अलग हैं। योग्यता पर आधारित अवसर की समानता का अधिकार व्यक्ति के पक्ष में है, जबकि संरक्षणत्मक भेदभाव की व्यवस्था सामूहिकता के पक्ष में की गई है। अवसर की समानता का अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, कानून के समान संरक्षण का समानता सम्बन्धी अधिकार विधानमंडलों की नीतियों और सरकार द्वारा उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इसी तरह राज्य की न्यायिक और कार्यपालिका सम्बन्धी इकाइयों द्वारा इन अधिकारों पर भिन्न-भिन्न मात्रा में बल देने से संघर्ष उत्पन्न होते हैं।”

इसी तरह आन्द्रे बेते ने अपनी पुस्तक “समानता और असमानता, सिद्धान्त और व्यवहार” (इक्वेलिटी एण्ड इनइक्वेलिटी, थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस) में लिखा है कि “कानून सामान्य जनता की शिक्षा की कमी को पूरा नहीं कर सकता। भारतीय समाज समानता के इस आदर्श को व्यवहारिक रूप दे सकेंगे या नहीं, यह उस दृढ़ता पर निर्भर करेगा जिसके द्वारा वे सांस्थानिक संरचनाओं के निर्माण कार्य में अपने आपको पूरी तरह से लगा सकेंगे।



राज्य की औद्योगिक समस्याएँ एवं श्रमिक संघों की भूमिका पर संगोष्ठी

श्री रामदेव प्रसाद

प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ

1. श्रमिक संघों का महत्व

राष्ट्र की आर्थिक विकास के लिए श्रम एवं पूंजी का समान महत्व है।

औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक संगठनों तथा तथा प्रबंधकों में मधुर औद्योगिक संबंध आवश्यक है। इसके लिए आदर्श प्रबंधक तथा शक्तिशाली एवं उत्तरदायी श्रमिक संघ की अहम भूमिका है।

श्रमिक संघों की वर्तमान स्थिति

जिस अनुपात में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वृद्धि हो रही है उस अनुपात में श्रमिक संघों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। अपने ही राज्य में लगभग 51 हजार कारखाने हैं और लगभग 3 हजार से कुछ अधिक यूनियनें हैं।

देश एवं राज्य में संगठित क्षेत्र में मात्र 20 से 25 प्रतिशत तथा असंगठित क्षेत्र में 5 से 10 प्रतिशत ही श्रमिक यूनियनों की सदस्यता है।

दूसरी स्थिति यह भी है कि श्रमिक संघ अधिनियम 1926 का दुरुपयोग कर एक ही प्रतिष्ठान में 25-30 यूनियनें भी निबंधित हैं।

निबंधित एवं मान्यता प्राप्त यूनियनें

निबंधित यूनियनें केवल व्यक्तिगत विवाद ही उठा सकती है जबकि मान्यता प्राप्त यूनियनें सभी सामान्य



प्रकृति की मांग उठाती है और प्रबंधक उसी से समझौता करती है। परन्तु प्रबंधक मान्यता प्राप्त यूनियन को कृपापात्र बना लेती है। फलस्वरूप मान्यता प्राप्त यूनियनें निष्क्रिय हो जाती हैं।

मान्यता की कानूनी प्रावधान के अभाव

मान्यता का निर्धारण उद्योग अनुशासन संहिता जो 35 साल पुराना है तथा स्वतंत्र पक्ष के द्वारा किया जाता है। जिस पक्ष को उच्च न्यायालय ने एक अनुपयोगी समिति की संज्ञा दी है।

मान्यता के दावा के लिए 75% श्रमिकों का मत प्राप्त करना है जो वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं।

अगर चुनाव की तिथि तय हुई तो दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण लेकर चुनाव स्थगित करा देता है।

प्रशासनिक कमी—

स्टाफ की कमी— 86 से वार्षिक विवरण क संकलन नहीं। निबन्धन में विलम्ब। स्वनियोजितों की यूनियन नहीं।

समस्या का निराकरण

1. राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसा के आधार पर त्रिपक्षीय वार्ता कर श्रम संघ अधिनियम 1926 में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाय।

2. श्रमिक संघ की मान्यता—

श्रमिक संघ की मान्यता हेतु महाराष्ट्र सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार की तरह कानूनी प्रावधान किया जाय। साथ ही गुप्त सत्तदान के द्वारा समानुपातिक संख्या के आधार पर सामूहिक सोदेवाजी एजेंट तय विया जाय।

3. श्रमिक संघ निदेशालय का गठन—

श्रमिक संघों की अनावश्यक संख्या को नियंत्रित करने के लिए श्रमिक संघ निदेशालय का गठन किया जाय। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरह नियमावली बनाया जाय जिसमें ट्रेड यूनियन निरीक्षकों की व्यवस्था हो।

असंगठित मजदूरों का श्रमिक सघ—

इस क्षेत्र में यूनियनों की संख्या काफी कम है। कृषि श्रमिक संघ जिलास्तर पर निबन्धित होता। फिर भी राज्य स्तर पर 200 यूनियनों से अधिक नहीं है। जबकि असंगठित क्षेत्र की श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र से 4 गुनी है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948—

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मात्र न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ही एक सहारा है जिसके अन्तर्गत इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। गरीबी की सीमा रेखा के अनुसार 38/- रुपया न्यूनतम मजदूरी तय होना चाहिए, जबकि कृषि मजदूरों के लिए 16.50 रुपये एवं अन्य अनुसूचियों को 21-50

रुपये। कृषि मजदूरी के साथ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नहीं जुड़ा है।

अधिनियम का उल्लंघन—

अधिनियम का उल्लंघन प्रबन्धक तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा समान रूप से होता है। औद्योगिक ठेका मजदूरों को सड़क निर्माण एवं मरम्मत करने वाले मजदूरों की बराबर मजदूरी तय होती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3 पैसे प्रतिदिन प्रतिमूल्य सूचकांक तय किया था जो 1990 अक्टूबर से ही देय है। वह सचिका अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय में पड़ी है। फलस्वरूप एक वर्ष से मजदूर बंचित हैं।

न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मशीनरी अक्षम एवं निष्क्रिय -

कारखाना कानून के अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की मजदूरी लागू कगाने की जिम्मेवारी कारखाना निरीक्षकों पर है। राज्य में 51 हजार से अधिक कारखाना है जिसमें मात्र 44 निरीक्षक हैं। जबकि श्रम विभाग के अनुसार ही 1990 निरीक्षकों का आवश्यकता है। कल्पना की जा सकती है कि कितनी मात्रा में कानून का पालन होता होगा।

कृषि श्रमिक निदेशालय—

निदेशालय का मुख्य कार्य कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी लागू करना है। कृषि श्रम प्रावर्तन पदाधिकारी का 641 पद सृजित है। अभी तक लगभग 540 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं। 44 जिलों में मात्र 27 जिला कृषि श्रमिक श्रमाधीक्षक का पद स्वीकृत है। जिला स्तर पर ही पदाधिकारी का अभाव है। स्वयं निदेशक, अपर श्रमायुक्त भी हैं जिनका पटना में और राँची में कार्यालय है। निदेशालय में मात्र एक दो ही पदाधिकारी हैं।

निदेशालय को सड़क बांध सिंचाई, बीड़ी, वन संचालन डेयरी पोल्ट्री की मजदूरी भी लागू करना है।

अब विचारणीय है कि कृषि मजदूरों में किस प्रकार कार्य हो रहा है।

कृषि यूनियनों की अनुदान राशि—

40 हजार अनुदान राशि कृषि श्रमिकों की यूनियनों को प्रोत्साहित करने के लिए है। परन्तु जटिल प्रक्रिया के कारण मात्र प्रतिवर्ष 3 हजार का ही उपयोग किया जाता है। शेष केन्द्र को लौटा दिया जाता है। इस बार किसी को नहीं मिला।

समस्या का निराकरण —

1. केरल राज्य की तरह कृषि श्रमिक अधिनियम बनाया जाय।
2. महाराष्ट्र राज्य की तरह ग्रामीण मजदूरों के लिए निबोजन गारंटी योजना लागू हो।
3. कृषि श्रमिक निदेशालय को सबल बनाया जाय।
4. औद्योगिक ठेका मजदूरों की मजदूरी के लिए अलग अलग से अनुसूची जोड़ा जाय।
5. राज्य में दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब की तरह एक ही अधिसूचना में सभी अनुसूचियों की मजदूरी अधिसूचित हो।
6. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की अधिसूचना शीघ्र निर्गत की जाय।
4. लघु इजिनियरिंग वेतन के विवाद का रांची उच्च न्यायालय से शीघ्र निपटारा कराया जाय।

राज्य की औद्योगिक समस्याएं—

संगोष्ठी के 'पृष्ठ भूमि आलेख' के पृष्ठ 2 पर राज्य के औद्योगिक सम्बन्ध को शान्तिपूर्ण बताया गया। शान्ति श्मशान की या तूफान से पूर्व की।

राज्य में 1990-91 में 51,165 कारखाने निर्बंधित हैं। जिसमें 4855 बड़ा मध्यम एवं लघु कारखाने बन्द या बीमार पड़े हैं। कई बड़े कारखाने 6-7 वर्षों से बन्द हैं।

श्रम विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1989-90 में 7 तालाबंदी तथा 46 हड़तालों से 2 लाख

75 हजार 399 श्रम दिवसों की हानि हुई। जबकि 90-91 में 15 तालाबंदी 42 हड़तालों हुई। जिससे 3 लाख 36 हजार 886 श्रम दिवसों की हानि हुई अर्थात् जहां हड़तालों की संख्या में कमी हुई, वहीं तालाबंदी में दोगुनी वृद्धि हुई। जिसके फलस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 61 हजार 537 श्रम दिवसों की अधिक हानि हुई। उपरोक्त श्रम दिवसों में वर्षों से बन्द कारखाने एवं विद्युत के कारण हजारों ले-ऑफ कारखानों की क्षति श्रम दिवस सम्मिलित नहीं है।

श्रम विभाग की निष्क्रियता—

श्रम विभाग की सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय राज्य श्रम परामर्शदातृ पर्वद का पुनर्गठन नहीं हो पाया है। फलस्वरूप अभी तक राज्य की उपरोक्त समस्याओं के निराकरण पर कोई बिचार नहीं हो पाया है।

अनेकों श्रम न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी नहीं हैं। परिणामतः वर्षों से हजारों मजदूरों का विवाद लंबित है।

सुझाव —

1. राज्य श्रम परामर्शदातृ पर्वद का शीघ्र पुनर्गठन कर उपरोक्त समस्याओं पर बिचार विमर्श कर समस्या का समाधान किया जाय।
2. त्रिपक्षीय स्थायी समिति का गठन किया जाय जिसकी प्रत्येक तीन माह पर बैठक श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हो।
3. निष्क्रिय श्रम समितियों को सक्रिय किया जाय।
4. राज्य स्तर पर प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी के लिए अध्यादेश जारी किया जाय। साथ ही प्रयोग के तौर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों में इसे लागू किया जाय।

आर्थिक गुलामी का भयावह संकट

कुमार अशोक विजय

देशभक्त बांधवो,

आज हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, आर्थिक संप्रभुता और आत्म-निर्भरता खतरे में है। राजनैतिक स्वतंत्रता के बावजूद हमारा प्यारा देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ध्वंस के कगार पर आ पहुँचा है। आखिर किसकी नजर लग गई हमारी मातृभूमि को? अथवा कालचक्र की यह कैसी नियति है जो कुन्द-इन्दु-सम प्रकाशमान भारत राष्ट्र पर एकबार पुनः अपवित्र-राहु-छाया उपस्थित कर रही है? हे भारत माता के अमृत पुत्रों! स्मरण करो उस वैभवशाली अतीत को, जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। स्वायत्तसमाज और आत्म-निर्भर सामुदायिक जीवन था। ढाँके का प्रसिद्ध मलमल और कोहिनूर हीरा भारतीय शिल्प के अनूठे प्रतीक थे। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान थे। सम्पत्ति वैभव और विकास का ऐसा उत्कर्ष था कि विदेशियों की आँखें चुँघिया जाती थीं। हमारे उद्योग और व्यापार, विद्या और ज्ञान विश्वविख्यात थे। हमारे व्यापारिक सम्पर्क और सम्बन्ध सुदूर पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे। कुतुबमीनार के पास दो हजार साल पुराना लोह-स्तंभ उस समय के भव्य भारतीय शिल्प की कहानी आज भी कह रहा है, जबकि पश्चिमी देशों को इस्पात के उपयोग का ज्ञान भी नहीं था।

लेकिन आज भारतीय संतति भयानक गरीबी, जातीय तनाव, अशिक्षा, बीमारी, तकनीकी अरुचि और भ्रष्टाचरण के दर्दनाक अधरों में भटक रही है। पुस्तैनी धंधे और कुटीर उद्योग, स्वावलंबी उत्पादन और राष्ट्रीय श्रम के मूल्य चौपट हो गये हैं। भारतीय पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। गाँव उजड़ रहे हैं और शहरों में ऊँची कट्टालिकाओं के इर्द-गिर्द झोपड़-पट्टियों की तायदाद बढ़ रही है। सड़कों-फुटपाथों पर अपना श्रम और तन बेचकर गुजर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

बंधुओं, यह सब कुछ अचानक नहीं हो गया। इसकी एक लम्बी करुण कथा है। भारतवर्ष दीर्घ कालीन गुलामी का शिकार रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने पहले जीभरकर इसे लूटा। देशी रियासतें लुटीं, मंदिर लूटकर तोड़े गये। हीरे-जवाहरात, सोने-चाँदी, लुटेरे अपने साथ ले गये। फिर आई व्यापार की आड़ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। स्वाधीनता के लिए भारत माता के करोड़ों सपूत शहीद हो गये। तब जाकर मिली आजादी। लेकिन मानसिक गुलामी नहीं गई। स्वतंत्रता के चौवालीस वर्षों के बाद भी हम विदेशी वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त न हो सके। भोगवाद की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। बात-बात पर विदेशों पर निर्भरता बढ़ती गई। स्वदेशी तकनीक के विकास से हम गाफिल रहे। दुर्भाग्य से देश के शासकों ने भी पूँजीवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित ही किया। विकास के नाम पर, आधुनिक तकनीक और पूँजी के आयात के नाम पर, विदेशी कम्पनियाँ भारत में आईं। हाथ तो कुछ न आया। उल्टे देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बाजार बन गया और भयानक ऋण-पाश में बँध गया।

आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सामने हमारी सरकार नतमस्तक होकर उसकी शर्तों पर अपनी वची-खुची आर्थिक संप्रभुता को भी दाव पर लगा दे रही है। 51 प्रतिशत का अंशधारी बनने का निमंत्रण देकर देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों गिरवी रखने की साजिश की जा रही है। आइए, इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के काले कारनामों से भी अवगत होते चलें : —

1. किसी भी देश में अपना पाँव पसारने के लिए ये कम्पनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्य वित्तीय संघटनों के जरिए उन देशों पर दबाव डलवाती हैं जिन्हें इन संघटनों से ऋण की आवश्यकता होती है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण देने की ऐसी-ऐसी शर्तें पेश करता है जो कर्जदार देशों को इन कम्पनियों का धीरे-धीरे गुलाम बना देती है। ब्राजील, मैक्सिको, आर्जेन्टीना और चिली इस तथ्य के प्रमाण हैं। इन देशों की ऐसी स्थिति हो गई कि वे कर्ज चुकाने के योग्य न रह गये। फलतः वहाँ के कारखाने, वायु कम्पनियाँ, टेलीफोन-दूरसंचार प्रणाली पर इन कम्पनियों का कब्जा हो गया। इन देशों का सारा कच्चा माल विदेश चला जाता है और वहाँ के युवक-युवतियाँ गुलामों की तरह दूसरे देशों में जाने पर मजबूर कर दिये गये हैं।
3. ये कम्पनियाँ कुल लागत का 95 प्रतिशत हमारी राष्ट्रीय संसाधनों से उगाहती हैं और मात्र 5 प्रतिशत अपने साथ लाती हैं।
4. बहुराष्ट्रीय निगम अपने व्यापारिक लाभ के लिए राजनैतिक अस्थिरता पैदा करती हैं और आतंकवादी, अलगाववादी शक्तियों को आर्थिक सहयोग देती हैं।
5. अपने भारतवर्ष में 1500 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं। एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने देश को शताब्दियों तक गुलाम बनाए रखा अब तो हजारों कम्पनियों से हम घिर गये हैं।
6. उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में 76 प्रतिशत बाजार इनके सामानों से अटे पड़े हैं। ये टूथ पेस्ट, ब्लेड, टूथ ब्रश, साबुन, दियासलाई, सेविंग क्रीम, लोशन, सिगरेट, बिस्कुट आदि चीजें हमारे ही राष्ट्रीय संसाधनों से बनाकर कई गुना मुनाफे पर हमें बेचती हैं और प्रतिवर्ष अरबों रुपये विदेश भेजती हैं।
7. दवा के क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाजार पर इनका कब्जा है। इन दवाओं में 95 प्रतिशत ऐसी दवाएँ हैं जो दूसरे देशों में प्रतिबन्धित हैं। नई आविष्कृत दवाओं के लिए तो भारतवर्ष सर्वोत्तम गिनीपिंग माना जाता है। इन गैर जरूरी दवाओं के व्यापार से ये कम्पनियाँ 1800 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाकर देश के बाहर भेजती हैं।
8. पेप्सी कोला ने भारत में 50,000 लोगों (जिसमें से 25,000 केवल पंजाब के युवकों) को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। परन्तु मात्र 489 लोगों को ही रोजगार मिला।
9. इसी पेप्सी कोला ने चिली के राष्ट्रपति सत्वाडोर अलेन्दे की हत्या की थी।
10. हिन्दुस्तान लीबर लिमिटेड 1920 ई० में भारत आई। 20 हजार रुपये की पूँजी से इसने अपना कारोबार प्रारम्भ किया। आज केवल साबुन उद्योग में यह 14,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही है। 300 करोड़ रुपये तो मात्र प्रतिवर्ष विज्ञापन पर व्यय करती है।

11. 1956-57 वर्ष में देश में कारोबार कर रही 50 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में सिर्फ 5.3 प्रतिशत पूँजी बाहर से आई थी ।
12. कोकाकोला ने 6.6 लाख रुपये से व्यापार प्रारम्भ कर 10 करोड़ मुनाफा कमाकर विदेश भेजा ।
13. भारतवर्ष में कभी 30,000 धान की किस्में थीं । अधिक उत्पादन के नाम पर इन कम्पनियों ने अपना ऐसा बीज भारत को दिया जो रासायनिक उर्वरक के बिना पैदा ही नहीं हो सकता था । बीज भी उनका, खाद भी उनका । अब तो भारत में धान की मात्र 15 ही किस्में हैं, जिसे वे महंगे दामों पर बेचते हैं । भारत सरकार किसानों को महंगे खाद बीज खरीदने हेतु सबसीडी देती थी । पर इन कम्पनियों के दबाव पर अब किसानों को यह सबसीडी नहीं मिलने जा रही ताकि अन्न के मामले में भी हमारी आत्म-निर्भरता समाप्त हो जाय ।
14. इनके उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के जहर से समूची जमीन, जलवायु और मानव-स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है । हरित क्रांति की वजह से उपज में जो बहुत मिली थी वह कम होती जा रही है । जमीनें शक्तिहीन बनती जा रही हैं ।
15. बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाईड ने 10,000 लोगों को विषैली गैस 'मिग' द्वारा मार डाला । 80,000 लोग अपंग हो गये तथा 2,80,000 लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए । पर्यावरण दूषित हुआ ही । फिर भी यह कम्पनी भारत में व्यापार कर रही है ।
16. शीतल पेय में ये वी० भी० ओ० नामक विषैला पदार्थ मिलाती है ।
17. ये कम्पनियाँ सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलाती हैं । आर्थिक शोषण करती है । दमन का साम्राज्य रचती हैं फिरकापरस्ती फैलाती हैं । विज्ञापन एवं फिल्मों के माध्यम से सांस्कृतिक-विकृतियाँ पैदा करके मानसिक रूप से गुलाम बनाती हैं ।
18. इनके विशालकाय साम्राज्य की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी है । अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की सरकारें भी इनकी काली करतूतों से परेशान हैं । जनता के आक्रोश को देखते हुए कई यूरोपीय सरकारों ने इनपर पाबंदियाँ भी लगा दी हैं परन्तु फिर भी हमारी सरकार इस अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक साम्राज्यवाद की पिछलग्गू बनी हुई है ।
भाइयों और बहनों,

परिणाम सामने है : —

- (क) मेक्सिको और ब्राजील के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है ।
- (ख) भारत ने बेल्जियम और आयरलैंड जैसे देशों से भी कर्ज लिया है ।
- (ग) लगभग पीने दो लाख करोड़ रुपये का विदेशी ऋण इस देश के माथे पर है ।
- (घ) कुल अर्जित विदेशी मुद्रा का 30 प्रतिशत ऋणों पर व्याज के धुगतान में खर्च होता है ।
- (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव पर रुपये का 40 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया फलतः ऋण अपने आप बढ़ गया । बैंकों में जमा सार्वजनिक पूँजी अपने आप घट गई और हमारा निर्यात 25 से 30 प्रतिशत तक सस्ता हो गया । आयात महंगे हो गये ।

- (च) यदि स्थिति नहीं सुधरी तो 1995 में हमें ऋण अदायगी के लिए 6 बिलियन डालर की जरूरत पड़ेगी ।
- (छ) देश को लगभग 70 टन सोना बेचना पड़ा है ।
- (ज) 1981 — 1991 में बंद उद्योगों की संख्या 25,000 से बढ़कर 3 लाख हो गई ।
- (झ) विदेशी ऋणों के भुगतान में ही सारी राष्ट्रीय पूँजी खप जाने पर बैंकलपिक रोजगार के लिए धन का अभाव हो जाएगा । उद्योगों में छँटनी होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी ।
- (ञ) देश में रोजगार के बढ़ने की दर 2.5 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत रह गई है । नई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है ।
- (ट) देश में सामाजिक और साम्प्रदायिक तनाव को दूर करने के नाम पर जो लोग 1947 की स्थिति बहाल करने का विधेयक पारित कर रहे हैं वे देश की आर्थिक व्यवस्था को ही 1947 की स्थिति में लाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा । क्योंकि टूटे-फूटे, लुटे-लुटाए इस देश पर उस समय भी कोई कर्ज नहीं था । उल्टे विदेशों पर हमारा 3452 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का ऋण चढ़ा हुआ था । 1951 तक आते-आते देश की सरकार ने इसे फूँक ही नहीं डाला, बल्कि देश को 32 करोड़ का कर्जदार भी बना दिया ।
- (ठ) आधुनिक तकनीक के नाम पर वे तकनीक भारत आ रहे हैं जो विदेशों में पुराने पड़ चुके हैं ।

इसलिए, आज देश की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने, सामाजिक असमानता को खत्म करने, भूखों को स्वाभिमान के साथ ईमान की रोटटी मुहैया कराने की गहरी आवश्यकता आ पड़ी है । आज भारत को अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना होगा, अपनी शक्ति अपने पराभूत स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा । ऋण-मुक्त भारत के निर्माण के लिए भीषणव्रत लेना पड़ेगा । इसके लिए हमें भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बर्चस्व को तोड़ना पड़ेगा और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा ।

आइए, हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, अपनी पुरातन परम्परा, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रगति और विकास का प्रतिमान सुनिश्चित करें । हमें पश्चिमी प्रतिमानों और उदाहरणों का गहराई से अध्ययन-विश्लेषण करके, यदि संभव हो तो उनका लाभ उठाना ही चाहिए, लेकिन उन्हें अपने भावी विकास का प्रतिमान मान लेने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए । अतः अब एकमात्र उपाय यही है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादन सामग्रियों का पूर्णरूपेण बहिष्कार करके स्वदेशी उद्योगों, कुटीर उद्योगों के उत्पादनों का उपयोग करना होगा ताकि देश आत्म-निर्भर बने, रोजगार बढ़े और परम्परागत शिल्पों/उद्योगों पर चिन्तन और शोध की प्रवृत्ति भी बढ़े । देश की आर्थिक संप्रभुता पर आसन्न संकट के निवारणार्थ तथा स्वराष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए आर्थिक आजादी के महासंग्राम का प्रथम चरण, चलिए, शुरू करते हैं विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार और स्वदेशी सामग्रियों को अंगीकृत करके ।

आपकी जानकारी के लिए विदेशी/स्वदेशी/लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादनों की सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है :—

सावधानियाँ

विदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन

1. टूथ पेस्ट कालगेट, फोरहंस, क्लोजप, एमोकामं सिवाका । प्रोमिस, प्रूडेंट, नीम, बबूल, बीको ब्रजदंती, डाबर ।
2. टूथ पाउडर कालगेट, फोरहंस, सिवाका प्रोमिस, बीको ब्रजदंती, डाबर, वैद्यनाथ, दंत मुक्ता, गाय छाप, बंदर छाप ।
3. टूथ ब्रश कोलगेट, फोरहंस, सिवाका, विजडम अजय, डा० स्ट्रांग, डीलक्स, प्रोमिस, नीम एवं बबूल के दातुन ।
4. ब्लेड 7 ओ 'क्लौक, विल्कर्मन, विल्टेज, इरास्मिक । टोपाज, अशोक, गैलेन्ट, भारत, लेजर, सिल्वर प्रिंस, स्ववायर, सुपर मैक्स, प्लेटिनम ।
5. शेविंग क्रीम ओल्ड स्पाइस, लेदर, पामोलिव, नीबिया, पौण्ड्स, इरास्मिक, मेंथल, फ्रेंश लेदर । इमामी, बी० जौन, अफगान, गोदरेज, इमामी डी-लक्स एवं लघु उद्योगों के अनेक उत्पादन ।
6. आफ्टर शेव लोशन ओल्ड स्पाइस, पौंड्स बोरोलीन, बोरो कैलेण्डुला, फिटकीरी का घोल ।
7. नहाने का साबुन लक्स, रेक्सोना, लिलिल, लाइफ वॉय, ब्रीज, पीयर्स, जानसन, पौण्ड्स, डिटॉल, क्लियरेसिल, संतूर, नीको, विप्रो (शिकाकाई) । हमाम, चन्दन, निरमा, बिजिल, सिथोल, स्वस्ति (शिकाकाई), ओ० के०, गोल्ड मिस्ट, जैस्मीन, संदल, मोती, रलक, पंडोरा, खस, रोज, अफगान ब्यूटी, कार्बोलिक ।
8. डिटरजेंट कैक सनलाइट, रिन, ब्लील, चेक की, डबल, ५५५, निरमा
9. डिटरजेंट पाउडर रिन, सर्फ, ब्लील, चेक, ह्वाइट, विम निरमा, विमल, हीप्पोली, न टी-सीरीज ओडोपिकर, सेनीफे शर ।
10. हेयर टॉनिक बेस्ले कैंथ्रेड्राइन, आंबला, शिकाकाई, रीठा केयो कार्पिन, आंबला तेल, ब्राह्मी, बनफूल ।
11. हेयर क्रीम विलक्रीम, ओल्ड स्पाइस एक्सपेल, पामेड
12. शैम्पू पाण्ड्स, ओल्ड-स्पाइस, हेलो हिना अफगान, हरबल, लक्ष्मी, आनिका, पामोलिव, विलनौक, सन सिल्क, हेयर केयर, वेल्वेट, डाबर, क्लियरेसिल, मेडीकेयर, ग्लोम, लवेन्डर, अलिकेश, आंबला-रीठा-शिकाकाई का रस ।

13. सौंदर्य क्रीम	क्विलयरेसिल, क्विलयर टोन, पाण्ड्स, ब्लूसील ओल्ड स्पाइस, फेयर एण्ड लवली, निबिया, मिन, डिटॉल, ए०एफ०डी०सी० सुप्रीम, चामिस्स ।	वीको टर्मरिक, लक्मे, बोरो-प्लस, बोरोलीन, बोरो कलेण्डुला, हल्दी-चन्दन-बेसन-दही का उबटन, अफगान स्नो, अफगान लबेंडर, जयश्री ।
14. पाउडर	नायसिल, लिरिल, पौण्डम् आल्ड स्पाइस, जानसन ।	बोरोप्लस, लक्मे, लवण्डर, मारिस, बोरो कैलेण्डुला ।
15. दियासलाई	टिक्का, होमलाइट	मोर, बत्तक, बालक, मुर्गा, हल, किसान, जय जवान, जयहिन्द, शेर आदि मार्का के लघु उद्योगों के उत्पादन ।
16. दूध पाउडर	मिल्क मेड, नेस्ट्ले, फॉरेक्स, एवरीडे, गाटको, सेरेलेक ।	अमूल, इण्डाना, सरकारी डेयरी के दूध ।
17. शिशु आहार	नेस्टम, फोरेक्स, एल० पी० एफ०	गाय का शुद्ध दूध, माँ का दूध ।
18. चाय	रेडलेबेल, लिपटन, टेस्टर चौइस, ग्रीन लेबेल, चीयर्स, डायमंड, रंगोली, समोवार, मधुवन, सुपर कप, उत्सव, सिम्फनी, स्वान लेक, जैड ग्लो, डबल डायमण्ड, ब्लू डायमंड ।	आसाम टी कम्पनी, बंगाल टी कम्पनी, गुरुकूल चाय, पल्लवी, महाराजा, ताजा, टाटा चाय, खुली चाय ।
19. जूते	बाटा कम्पनी के पावर, नार्थ स्टार, एम्बेसडर, क्वाडा क्वीन ।	लिवर्टी, लखानी, भारत लेदर, रैपूरिया शूज, लैम्को, स्वदेशी चर्म उद्योगों के जूते ।
20. टायर	प्युमा, एम्पायर, अपोलो, फायर स्टोन, सीयेट, गुड इयर, डनलप ।	विक्रान्त, जे०के०, मोदी टायर
21. बनस्पति घी एवं तेल	डालडा, सोया-रिफाईन्ड आयल, सनड्राप, क्रिस्टल ।	अमृत, गगन, रुचि, गोपी, हनुमान, धारा, पोस्टमैन, अमूल के घी एवं बटर ।
22. काँफी	नैस्कैफे, नेस्ले	स्वदेशी कम्पनियों के काँफी ।
23. बिस्कुट	ब्रिटानिया, कैंडबरिज, ग्लूकोज, लिप्टन ग्लूकोज, ग्लूको, बटर, ओल्ड जैमका, मिल्क विकीज ।	पारले, लकी बिस्कुट, रीच तथा अन्य लघु उद्योगों के उत्पादन ।
24. चाकलेट एवं टॉफी	5-स्टार, स्वाद, चटपट चूर्नेट, कोकोबा, पिकनिक पिस्ता, केडवरीज के सभी उत्पादन ।	अमूल, हाजमोला आदि

25. पंखे जी० ई० सी०, रैलीज, क्राम्टन
26. सिलाई मशीन सिगर
27. बिजली के उपकरण (बल्ब एवं ट्यूब आदि) फिलिप्स, थामसन, सी० आई० ई०, सैमसंग, सैन्यो, सीमेंस, सिल्वेनिया लक्ष्मण ।
28. टाच एवं बैटरी एवरेडी, जीवन साथी
29. सिगरेट क्लासिक, गोल्ड फ्लैक, कैप्सन, बिल्स, सीजर्स, टाइगर, त्रिस्टल, चार्म्स एवं चार मिनार, कैसेण्डर्स, फोर-स्क्वायर, कैम्ब्रिज, चेस्टर फील्ड, राथमैस ।
30. रेडीमेड कपड़े रैंगलर, नाइक, ड्यूक, एडिडास, पॉवर, प्युमा, प्रोलाइन आदि के टी-शर्ट एवं पैट ।
31. कीटनाशी दवाएँ डाइक्लोर वोस, ड्रवान, बेगॉन, ब्लू-कापर, वैविस्टीन ।
32. शीतल पेय पेप्सी, कोकाकोला, लहर, सितारा, मि० पिक, मैक डोनाल्ड, मिराण्डा, ट्री-टॉप ।
33. दवाएँ एवं टॉनिक 515 ऐसी दवाएँ लगभग 3000 नामों से देश में बनाई और बेची जा रही हैं जो प्रायः प्राणघातक हैं । जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मृत का यह व्यापार किया जा रहा है उनमें, मे एण्ड बेकर, सीबा गायगी, वेरो वेलकम, पार्क डेविस, ज्यो फ्रीमैनर्स, फाइजर, हेक्स, सैण्डोज, रोस, स्केफ, एस० जी० फार्मास्युटिकल्स, ग्लैक्सो, बूट्स, इस्ट इण्डिया कम्पनी, इन्फार् इण्डिया कम्पनी आदि प्रमुख हैं ।
- उषा, खेतान, ओरिएण्ट, पोलर, सिन्नी, त्रिवेल ।
- उषा
- बजाज, सीमा, सूर्या, बंगाल लैम्प्स, मैसूर लैम्प्स, एन्कर एलेक्ट्रिकल्स, हिन्दुस्तान लैम्प्स, प्रकाश लैम्प्स ।
- जीप प्लैश, लाइट के टाच एवं बैटरी जैसे—जीप, शक्ति, सुपर, सिल्वर, अनुपम पेंथर, डी-लक्स, कोहिनूर ।
- सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । इससे टी० बी०, कैंसर, दमा, मूत्र एवं पेट संबंधी कई रोग पैदा हो जाते हैं । आदत से मजबूतों के लिए पानामा, चांसलर, बटन आदि सिगरेट विकल्प हैं ।
- एपरेल, बिल्को, डीयरली, क्लाइमैक्स आदि के सिलेसिलेये वस्त्र, खादी एवं हैण्डलूम के कपड़े ।
- फिनिट, एल्डेक्स आदि इनका उपयोग मानव मात्र के लिए अंततः खतरनाक है । तम्बाकू के पत्ते का उबला हुआ रस, नीम की खल्ली बेहतर विकल्प है ।
- थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, माजा, विस्लरी, कम्पाकोला, रिमजिम, लिम्का ।
- डाबर, हमदर्द, बैद्यनाथ, झंडू, ऊँझा आदि की आयुर्वेदिक दवाएँ होमियोपैथी दवाएँ । संयमित जीवन एवं संतुलित आहार ही स्वास्थ्य के मौलिक आधार हैं ।

डाक एवं दूरसंचार कर्मियों के बीच भारतीय मजदूर संघ एक झलक

श्री आर० डी० तिवारी, संगठन मंत्री
भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ बिहार प्रदेश

पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डाक एवं दूरसंचार विभागों में भारतीय मजदूर संघ का कार्य अक्टूबर 1977 में भोपाल में "भारतीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ" के गठन से प्रारंभ हुआ। महासंघ की मान्यता भारत सरकार द्वारा गठन के पश्चात् 13वें माह में सन् 1978 के अक्टूबर में दी गई। कालान्तर में भारतीय डाक-तार विभाग का "डाक"-एवं "दूरसंचार" अलग-अलग विभागों में बँटवारे के पश्चात् महासंघ के सबल संयोजनान्तर्गत दोनों विभागों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु क्रमशः फारतीय डाक कर्मचारी महासंघ एवं भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ का पुनर्गठन किया गया। यह घटना सन् 1986 में घटी।

ये महासंघ अल्पावधि में ही डाक एवं दूरसंचार कर्मचारियों के बीच अपने भारतीय मजदूर संघीय अनूठे वक्तव्यों एवं कर्तृत्वों के लिए अत्यन्त ही लोकप्रिय होकर सम्पूर्ण देश में छा गये। फलस्वरूप, दिसम्बर 1983 की सदस्यता सत्यापन में ही (भारत सरकार (श्रम विभाग द्वारा) 1,59,000 सदस्यों की सत्यापित सदस्यता हासिल कर ली गई।

भारतीय डाक एवं दूरसंचार विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध निम्नांकित अखिल भारतीय संगठन विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी बिहार में प्रान्तीय स्तर से स्थानीय स्तर तक अनेक समितियाँ कार्य कर रही है तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधि संगठन के रूप में उभर कर सामने आने में सफल हुई है। प्रान्तीय स्तर पर

बिहार में जहाँ भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध सभी संघों की शाखाएँ सभी राजस्व जिलों में फैली हुई हैं वहीं दूरसंचार की दृष्टि से गठित बिहार प्रान्त के पटना, गया, हजारीबाग, धनबाद, राँची, जमशेदपुर भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि ग्यारह दूरसंचार जिलों के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों, विभागीय तार घर एवं केन्द्रीय तार घरों तथा टेलीफोन के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों तक भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ का कार्य-विस्तार हुआ है।

प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय सचिव (सकिल सचिव) जिला स्तर का जिला सचिव एवं स्थानीय स्तरों पर शाखा सचिव, गठित समिति द्वारा उल्लिखित स्तरीय कार्य करते हैं।

भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ —

प्रान्तीय स्तर पर सचिवों के नाम व पते —

- (i) भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री बच्चू नारायण सिन्हा अनु० पर्य०

कार्या०—मृ० महा० प्रबंधक, पटना।

प्रान्तीय सचिव एस० के० बसाक

कार्या०—डाक महाध्यक्ष, चौथी मंजिल, पटना

- ii) भारतीय डाक मंचारी संघ तृतीय श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री मिथिलेश कुमार, कार्या० अधीक्षक
परिमण्डलीय टिकट भंडार, पटना-1

- (iii) भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमेन एवं
चतुर्थ वर्ग :—

अध्यक्ष—श्री बजरंगी शर्मा, मेलअधिदशक,
जहानाबाद।

प्रान्तीय सचिव—श्री राम जनम सिंह, डाक सहायक
झुमरी तिलैया हजारीबाग ।

(iv) भारतीय रेल-डाक-सेवा एवं मोटर-डाक-सेवा
कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री सत्यदेव प्रसाद,
कार्या—आर० एम० एस०, पटना जं०
प्रान्तीय सचिव—श्री बनारसी प्रसाद, हेड रेकार्ड
क्लर्क, सी० एस० ओ०, पटना आर० एम० एस०

(v) भारतीय रेल डाक सेवा एवं मोटर सेवा कर्मचारी
संघ मेल गार्ड एवं चतुर्थ श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री राम बिलास पाण्डेय, खेल निरीक्षक
कार्या—डाक महाध्यक्ष, चौथी मंजील, पटना-1
प्रान्तीय सचिव—श्री जगदीश मिश्र, एन० बी०
डीवी०, समस्तीपुर एच० आर० ओ० आ० स०
पंजाबी कॉलोनी, रोड-1 समस्तीपुर

(vi) भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी (निर्बंधित)

अध्यक्ष—श्री कपिलदेव सिंह—ग्राम+पो०—मउर
बाया बरबीचा जिला—मुंगेर
प्रान्तीय सचिव—श्री नागेश्वर शर्मा
शाखा डाक पाल बिरन लखन सेन, हाजीपुर
(बैशाली)

2. भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ सम्बद्ध

भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ बिहार प्रदेश
संयोजक—श्री राजदेव तिवारी
कार्या—टी० डी० एम०, पटना

(i) भारतीय दूरसंचार प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी
संघ तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री महेन्द्र सिंह, कार्या—मुख्य म० प्र०
दूरसंचार, बिहार, तृतीय मंजील, पटना-1,
प्रान्तीय सचिव—श्री सुवाश सिंह, कार्या—मु० म०
प्र० दूरसं०, बिहार, तृतीय मंजील, पटना-1

(ii) भारतीय टेलीफोन कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी :—
अध्यक्ष—श्री विजय शंकर प्रसाद, कार्या—दूर०
जि० अभियन्ता मुखपफरपुर ।

प्रान्तीय सचिव—श्री रघुबीर प्र० सिन्हा कार्या—
ए० ई० केबुल, आर० टी टी० सी० भवन, पटना-1

(iii) भारतीय टेलीफोन कर्मचारी संघ लाईन स्टाफ
एवं चतुर्थ वर्ग :—

अध्यक्ष—श्री मुरलीधर पाण्डेय, टेलीफोन केन्द्र
राजेन्द्र नगर, पटना ।

प्रान्तीय सचिव—श्री मौजी लाल सिंह कार्या—
ए० डी० टी०, पी० टी० सी० सी०, जी० पी०
भवन, पटना (प्रथम मंजिल)

(iv) भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ :—

अध्यक्ष—श्री श्याम नारायण सिंह, तकनीशियन,
कार्या—महा० अभि० टी० एम० जी० सी० टी०
ओ० भवन, पटना ।

प्रान्तीय सचिव—श्री मिथिलेश कुमार वर्मा,
कार्या—आर० आर० ओ० सी०, सी० टी० ओ०
भवन, पटना

(v) भारतीय तार परिचायक कर्मचारी संघ तृतीय एवं
चतुर्थ श्रेणी :—

अध्यक्ष—श्री आर० सी० पी० सिंह,
टी० मैन, सी० टी० ओ० पटना
प्रान्तीय सचिव—श्री वीर नारायण
कार्या—सी० एस० सी० टी० ओ० अपना

(vi) भारतीय डाक-तार-मजदूर संघ (निर्बंधित)

अध्यक्ष—श्री मौजी लाल सिंह, आर० एम०
कार्या—सहायक अभियन्ता, पी० टी० सी० सी०
जी० पी० ओ० भवन, पटना (प्रथम मंजिल)
प्रान्तीय सचिव—श्री मनोज कुमार झा, डी० आर०
एम० कार्या—दूरसंचार विद्युत् सब-स्टेशन, जी०
पी० ओ० परिसर, पटना-1

आर्य ही भारत के मूल निवासी थे

ब्रजकिशोर प्रसाद

(पिछली स्मारिका में विद्वान् लेखक ने उक्त संदर्भ में 13 विन्दुओं पर प्रकाश डाला था प्रस्तुत हैं अन्य विन्दु—सं०)

14. भारत की सभ्यता के बारे में अभी कलकत्ता के प्रथमेश चक्रवर्ती की क्रान्तिकारी पुस्तक छपी है जिसका नाम है “चीन राष्ट्र का भारतीय उद्गम”। इस पुस्तक से सिद्ध होता है कि चीन ही नहीं यूनानी सुमेरियन मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ हमारा ही एक अंग है। यहाँ तक कि जिस मार्ग ने बाद में यहूदी पंथ का रूप लिया वह भी हमारी सभ्यता की ही धारा है। समस्या यह है कि हमारा बहुत अधिक ज्ञान भंडार विदेशी हमलावरों द्वारा नष्ट कर दिया गया। फिर भी जो सामग्री इधर-उधर से मिल रही है वह इस दिशा की ओर संकेत करती है कि भारतीय सभ्यता विश्व सभ्यताओं की जननी है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में चीन के दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटा तो उसके भीतर के मलवे से एक संदूक निकला जिसमें से जो पाण्डूलिपियाँ निकली वे संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी इससे ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में भारतीय, भारत से बाहर जाकर विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित कर रहे थे।
15. पंजाब के मूल—स्थान (मूलतान) “साम्बपुर” या प्राचीन पुराणोक्त “कश्यपपुर” का इतिहास भी रक्त-रंजित है। मुलतान में सन् 1024 के पहले 2 लाख 16 हजार 432 साल पुराना मंदिर था, जिसका मुकुट सोने का था, आँखें पदम राग मणियों की थी जिसे मुहम्मद बिन कासिम ने 711-12 ई० में हमला किया और उसे नष्ट कर डाला। मुहम्मद बिन-कासिम ने सर्वप्रथम वहाँ एक मस्जिद बनवायी। इस तरह भारत का इतिहास कई लाख वर्ष पुराना है अतः आर्यों का बाहर से आने का इतिहास सत्य नहीं है।
16. एक नवीन खोज हुई है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर “आदिनाथ” ही इस्लाम पंथ के “बाबा आदम” कहे गये। बाद में, इसीलिये आदिनाथ की अयोध्या में 9 गज लम्बी समाधि है उसे आज मुसलमान ‘नौ गजा पीर’ (बाबा आदम) कहकर लोगों से चादरें आदि चढ़ाते हैं। एक इस्लामी ग्रंथ “मेहरा जुलनबूत” में दर्ज है कि “बाबा आदम की पैदाइश हिन्दुस्तान में ही काबिलेयकीन है”। इसीलिये जैनियों के प्रसिद्ध आचार्य तुलसी भी इसे उद्धृत करते हैं कि आदिनाथ और आदम एक ही हैं। इसी तरह ये आदिमाथ जो नाभिराय के पुत्र थे और जिन्हें ऋषभदेव कहा गया यही इस्लाम में “रसूल” कहे गये। आचार्य तुलसी नाभिराय और इस्लाम मत के “नबी” को एक ही मानते हैं।
- इस तरह यह प्रमाणित होता है कि जब प्रथम तीर्थंकर “आदिनाथ” जिन्हें इस्लाम में “बाबा आदम” नाभिराय या ऋषभदेव जिन्हें “रसूल” या नबी कहा गया सब का जन्म स्थान भारत है और ये सभी आर्य थे। तब आर्यों के बाहर से आने की बात सर्वदा तथा सर्वथा असत्य और अनुचित है।
17. जिन आर्यों ने वेद लिखे वे हमारे पुरखे हैं—सन् 1969 में इरान सरकार ने यह एलान किया कि इरानी हुकूमत के तहत दस लाख रुपये सरकारी खर्च से “ऋग्वेद” का फारसी अनुवाद तैयार किया जाये। यह पाकीजा योजना इसलिए बनी कि हममें से हर इरानी “ऋग्वेद” पर फक्र महसूस करता है। उसकी वजह यह है कि जिन आर्यों ने इस वेद को लिखा था वे हम इरानियों के पुरखे थे।

इस तरह का एलान तैहरान सरकार के मुखपत्र में छपा था।

18. भूकम्प के कारणों का विश्लेषण—विगत रविवार दिनांक 20. 10. 91 को उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी तथा अन्य स्थानों में आये भूकम्पों के कारण हजारों व्यक्तियों को जीवन से हाथ धोना पड़ा कई हजार बायल तथा करोड़ों की सम्पति नष्ट हुई। उसके कारणों के विश्लेषण करते हुए बताया गया कि भारत का भूतल धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा है तथा हिमालय दिनोंदिन ऊँचा होता जा रहा है जिसके कारण पृथ्वी की स्थिति में हलचल हो रहा है तथा इसीसे भूकम्प हो रहा है। किसी समय में भारत का भूतल आज से हजारों किलो मीटर दूर था। इस तरह आज जो सिन्धु है, जहाँ कश्मीर घाटी है वही भाग मध्य एशिया था जहाँ वेदों की रचना हुई।

विदेशी धर्माचार्य जिन्होंने इसाई तथा इस्लाम मजहब की स्थापना की वे दोनों ही लोगों ने कश्मीर में दशकों तक निवास कर धार्मिक ग्रन्थों वेद, पुराण तथा अन्य ग्रन्थों का अध्ययन किया। साथ ही विभिन्न धर्मों जैन तथा बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। इन अध्ययन से ही प्रेरणा पाकर इन महापुरुषों ने इसाई तथा इस्लाम मजहब की स्थापना की।

19. आर्यों का आदि देश भारत—अनेक इतिहासकारों का विचार है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आये थे, अपितु उनका मूल स्थान भारत ही में स्थित था। अलवेरूनी का भी विचार था कि अति प्राचीन समय में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालान्तर में आर्यावर्त में आकर बस गये। टेलर का विचार है कि आर्यों का मूल देश काश्मीर था। इनके अतिरिक्त ए० सी० दास, के० एम० मुन्सी, एस० श्रीकान्त शास्त्री, डा० गंगानाथ झा, डा० सम्पूर्ण नन्द, डी० एस० त्रिवेदी, एल० डी० काला एवं राजबलि पाण्डे आदि भारतीय विद्वान भी आर्यों का आदि देश भारत मानने के समर्थक हैं। उपर्युक्त

भारतीय विद्वान यद्यपि एकमत से यह स्वीकार करते हैं कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था किन्तु भारत में यह कौन-सा स्थान था इस विषय में विद्वानों में मतभेद है।

- 20 राजबलि पाण्डे ने मध्य देश (उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भू-भाग) को आर्यों का निवास स्थान स्वीकार किया है। उनके अनुसार गया, प्रतिष्ठान एवं अयोध्या उनके प्रमुख केन्द्र थे। राजबलि पाण्डे ने लिखा है “सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में एक भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि भारतीय आर्य कहीं बाहर से आये थे। भारतीय अनुश्रुति या जनश्रुति में कहीं इस बात की गन्ध नहीं पायी जाती कि भारतीय आर्यों को पितृभूमि या धर्मभूमि इस देश के बाहर थी।”

श्री गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल देश ब्रह्महृषि देश था, जबकि श्री डी० एस० त्रिवेदी, देविका नन्द प्रदेश, जो कि मुल्तान के समीप है, को आर्यों का आदि देश मानते हैं।

श्री एल० डी० काला ने काश्मीर एवं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास-स्थान माना है।

ए० सी० दास के अनुसार आर्य भारत के ही निवासी थे तथा उनका आदि-देश ‘सप्तसिन्धु देश’ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यद्यपि सप्तसिन्धु देश की स्थिति में पर्याप्त मतभेद है किन्तु ए० सी० दास का मानना है कि यह पंजाब में स्थित था क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित पौधे एवं पशु पंजाब में ही मिलते थे। इस प्रदेश में सात नदियाँ—सिन्धु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती भी थी। अतएव, यह प्रदेश कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ भी था। ए० सी० दास के शब्दों में “आर्यों का आदि देश सप्तसिन्धु ही था जिसमें उत्तर की ओर काश्मीर की रमणीक घाटी एवं पश्चिम की ओर गान्धार समावेशित था। इसकी दक्षिणी सीमा राजपूताना थी तथा पश्चिमी सीमा में गंगा नदी का

मैदान सन्निहित था। यह गान्धार और काबुलिस्तान की दिशा में भूमि के द्वारा जुड़ा जुड़ा हुआ था जहाँ से आर्यों की अनेक शाखाएँ पश्चिम एवं यूरोप की ओर बढ़ी।”

डा० सम्पूर्णानन्द ने भी सप्तसिन्धु को ही आर्यों का मूल देश माना है। उन्होंने जेन्द अवेस्ता और बौद्धिक संहिताओं में वर्णित भौगोलिक सीमाओं सम्बन्धी और

खान-पान, आचार-विचार रहन-सहन सम्यता सम्बन्धी बातों की छानबीन करके यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सिन्धु नदी से सरस्वती नदी के मध्य का भाग जिसमें काबुल, गान्धार, काश्मीर और पंजाब आदि सम्मिलित है, सप्त-सिन्धु ही उनका आदि देश था। सप्त-सिन्धु का ही दूसरा नाम आर्यावर्त है जिसे ऋग्वेद में 'देव निमित्त देश कहा गया है।



With the Compliments of

Associated Ceramics (P) Ltd.

Works Office

P. O. Chirkunda

Pin : 828202.

Dist. : Dhanbad (Bihar)

Ph. : 06552-380, 560, 561

Gram : ASOCERM

Calcutta Office

17, Ganesh Chandra

Avenue, 4th Floor

Calcutta-700013

Phone : 033-267350

Gram : INTRAWIN

Delhi Office

507, Meghdoot Building

94, Nehru Place

New Delhi-110019

Phone : 011-6433151

6429282

Tlx. : 031-62802 ACPL IN

Gram : ASOCERAMIC

Manufacturers of

Superior Quality Glass House Refractories, Such as, Sillimanite, 62% Dense, Zircon, Zirmul, Mullite Bricks, Shapes & Blocks.

Fireclay & High Alumina Refractories in Dense and super Dense Quality from 30% $A_1_2O_3$ to 95% $A_1_2O_3$, Silicon Carbide, Corderite Refractories and Complete Range of Monolithics, Such as, Castables, Ramming Masses, Plastic Gunning Mixes and Mortar in above qualities.

Insulating Bricks and Insulating Mortar from our Associates

M/S. SHARAD REFRACTORIES PVT. LTD.

किसानों की सेवा में भूमि विकास बैंक

श्याम बाबू यादव

राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक पटना ने 1957 में सम्भाली। तब से कृषि के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने में इस बैंक की अहम भूमिका रही है और अबतक 300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण किसानों के बीच बांटा गया है। कृषि के यंत्रीकरण हेतु ट्रैक्टर एवं पावर-टीलर, लघु-सिंचाई हेतु बोरिंग एवं पंपिंग सेट, बागवानी, मत्स्य-पालन, पशुपालन सुअर पालन आदि उद्देश्यों के लिए तथा गैर-कृषि क्षेत्र में कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने की योजना है।

वर्ष 1988-89 से सरकार द्वारा बैंक का अवक्रमण करके प्रशासक की नियुक्ति की गई है। इससे सहकारिता के मूल सिद्धान्त का अतिक्रमण हुआ है। सहकारिता में लोकतांत्रिक नेतृत्व की बड़ी अहम भूमिका होती है। अवक्रमण के बाद से राज्य में सहकारिता आन्दोलन थम-सा गया है। यद्यपि राज्य में सहकारिता के विकास की काफी संभावनाएं हैं लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज राज्य का सारा सहकारी ढाँचा ही अस्त-व्यस्त हो गया है। ऋण-वितरण जहाँ 70 करोड़ प्रति वर्ष होता था वहाँ ऋण-वितरण शून्य पर पहुँच गया है। वर्ष 1989-90 में मात्र 2 करोड़ रुपया का ही ऋण-वितरण हो सका है।

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध भूमि विकास बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के महासचिव श्री श्याम बाबू यादव एवं सचिव श्री ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में बैंककार्मिकों के वेतनमान को पुनर्वांशित करने, अनुकम्पा के आधार पर



नियुक्ति करने, वर्षों से निलम्बित कार्मिकों का निलम्बन समाप्त करने तथा बैंक का ऋण-वितरण पुनः चालू करने की मांग को लेकर आन्दोलन किया गया। बैंक के 2500 कर्मचारी पूरे 31 दिनों तक वेमियादी हड़ताल पर रहे और 5 अगस्त 91 को प्रबंधन से समझौता सम्पन्न हुआ। बैंक प्रबंधन द्वारा कार्मिकों की सभी मांगों करीब-करीब मान ली गईं।

लेकिन समझौते के कार्यान्वयन में प्रबंधन द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। वर्कर्स आर्गनाइजेशन के महासचिव एवं सचिव द्वारा पुनः आन्दोलन छेड़ने की कारवाही शुरू की जाने वाली है।

महासचिव,
भूमि विकास बैंक,
वर्कर्स आर्गनाइजेशन,
सम्बद्ध—भारतीय मजदूर संघ
बिहार पटना।

काश्मीर-संकट, राष्ट्रवाद को चुनौती

रामकिशोर पाठक

सह संयोजक, "कश्मीर बचाओ" मोर्चा

ऋषि कश्यप की माधनास्थली कश्मीर, कभी सतीसर नाम से विशाल जलमग्न भू-भाग था। ऋषि कश्यप ने बारामूला के निकट-पर्वत को काटकर इस जल के प्रवाह का जब मार्ग बनाया तो वह झेलम नदी में जा मिला और छोटी-छोटी झीलों से सुसज्जित एक रमणीक घाटी उभर आई जिसे कश्यपमर्ग या कश्मीर कहा गया। इस घाटी में उपजनेवाले केसर की सुगंध ने पूरे भारत वर्ष के आयों को इतना मोहित कर दिया कि वे अपने ललाट पर इसका तिलक लगाकर गौरव का अनुभव करने लगे। आगम शास्त्रों के अनुसार कभी भारतभूमि तीन भागों में बँटी हुई थी। इसका उत्तर पूर्व भाग विष्णुकान्त, उत्तर-पश्चिम भाग रथ क्रान्त और दक्षिण भाग अश्वक्रान्त के नाम से जाना जाता था। गांधार अफगानिस्तान, तिब्बत, इरान, ब्रह्मदेश और जावा तक क्रान्तों की सीमा मानी जाती थी। (अपना कश्मीर विष्णुकान्त के अन्तर्गत माना जाता था) कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वाराह-अवतार लेकर हिरण्य द्वारा अपहृत पृथ्वी का उद्धार किया था। आज भी वाराहमूल अर्थात् वारामूला इनका स्मरण दिलाता है। अनन्त नाग पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। आगम-साधना के तीन क्रमों में कश्मीर क्रम का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। सनातन धर्म के लगभग सभी पंथों को इस धरती पर समादृत होने का समान अवसर मिला। आदि गुरु शंकराचार्य ने केरल से कश्मीर तक पहुँचकर आसेतु हिमाचल वेदान्त दर्शन की प्रतिष्ठा की थी। मौर्य सम्राट् अशोक ने राजधानी श्रीनगर का निर्माण कराया था और सम्राट् कनिष्क ने कभी यहाँ विशाल बौद्ध-सम्मेलन आयोजित करवाया था। इतना ही

नहीं इस्लाम और इसाई धर्मों का भी प्रेरणा स्रोत कश्मीर ही रहा। इस प्रकार कश्मीर सर्व पंथ समभाव के राष्ट्रीय चरित्र का उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत करता था।

ऐतिहासिक सत्य—

भाषा और संस्कृति के शाश्वत-मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में भी इस कश्मीर का कोई कम योगदान नहीं रहा। इस धरती पर ही कवि कल्हण ने "राजत-रंगिणी" की रचना की थी। आचार्य सोमदेव ने यहीं कथा-सारि-सागर लिखा। अभिनव गुप्त जैसे महान् दार्शनिक और साहित्यशास्त्री इसी धरती की देन थे। सम्राट् ललितादित्य ने अपनी वीरता से अरबों का यहाँ मान मर्दन भी किया था। मार्तण्ड मन्दिर के खण्डहर आज भी महान् भारतीय संस्कृति को गौरवगाथा सुना रहे हैं। कश्मीर की मूल डोंगरी संस्कृति और भाषा में भी भारत की समग्र इन्द्रधनुषी संस्कृति एवं भाषाओं की ही आत्मा निवास करती है। इस प्रकार भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से भारत का अविभाज्य अंग रहा है। राजनैतिक रूप से भी कश्मीर भारत से सदैव जुड़ा रहा है। 14वीं शताब्दी में शाहमीर ने छलकपट से कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। सिकन्दर बुतशिकन ने हिन्दू हत्या का भयानक कुकृत्य किया। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर का उद्धार किया था। परन्तु सन् 1947 से कश्मीर में जो भयावह राजनैतिक भूलों की जाती रही है, वे ही आज के कश्मीर-संकट के लिए पूर्णतः जिम्मेवार हैं। शेख अब्दुल्ला शाहमीर के ही दूसरे अवतार बन कर आये। तुष्टीकरण की घातक नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। राष्ट्रहित की कीमत

पर दलीय स्वार्थों के संरक्षण के कारण आज कश्मीर को भारत से अलग करके एक और विभाजन का षडयंत्र किया जा रहा है।

राजनैतिक भूलें —

3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण समझौते के अनुसार अंग्रेजों ने भारत को तीन टुकड़ों में विभक्त किया था—भारत, पाकिस्तान और देशी राज्य।

देशी राज्यों को यह आजादी दी गई वे भारत अथवा पाकिस्तान में स्वेच्छा से मिल जायें या स्वतंत्र ही रहें। परन्तु तत्कालीन गृहमंत्री ने देशी राज्यों को कुशलता के साथ भारत में मिल जाने को राजी कर लिया। जम्मू कश्मीर के राणा हरि सिंह अपनी विशेष स्थिति के कारण असमंजस में थे और वे अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। परन्तु सरदार पटेल के प्रयास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवरकर 'गुरुजी' के प्रभाव से महाराजा ने कश्मीर का भारत में औपचारिक रूप से पूर्ण और अपरिवर्तनीय विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। परन्तु इसी बीच पाकिस्तानी हुकूमत ने कबाइलियों के वेश में कश्मीर पर अपनी सेना द्वारा आक्रमण कर दिया। दुर्भाग्यवश पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से जम्मूकश्मीर के मामले को अपने हाथों में ले लिया। जब महाराजा ने भारत से सेना भेजने का आग्रह किया तो नेहरू ने अपने अतिमहत्वाकांक्षी मित्र शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने की शर्त पर सेना भेजने का निर्णय किया। तभी शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मूकश्मीर के भारत में विलय का अनुमोदन किया। लेकिन अबतक बहुत देर हो चुकी थी। कश्मीर का 2/5 भाग पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। भारतीय सेना इसे आजाद करवा ही लेती, लेकिन पं० नेहरू ने मामले को संयुक्तराष्ट्र संघ में ले जाकर पुनः दूसरी भूल कर दी। संयुक्तराष्ट्र संघ ने आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्य करके वहाँ जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। भारत ने इस तर्क पर उक्त प्रस्ताव को अमान्य कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत

का अविभाज्य अंग है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी कठपुतली सरकार बना ली। तब से आजतक पाकिस्तान मामले को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते की भावना के विपरीत वह अपनी हुरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा कश्मीर घाटी में मुक्ति का उन्माद जगाकर असंतोष भड़काने का हर संभव प्रयास करती रही है तथा आतंकवादियों को शस्त्र एवं धन की भरपूर सहायता देती रही है।

शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू की मित्रता का लाभ उठाकर, उन्हें राजनैतिक भय दिखाकर उनके साथ एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके परिणामस्वरूप जम्मूकश्मीर को संविधान की धारा 370 के तहत विशेष दर्जा मिल गया। धारा 370 की कृपा से कश्मीर को अलग विधान और अलग निशान मिल गया। यह धारा महत्वाकांक्षी नेताओं की शक्ति बन गया। पंजाब, असम एवं तमिलनाडु जैसे राज्य भी धारा 370 जैसा विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए आज सुगबुगा रहे हैं।

जम्मूकश्मीर में शेख अब्दुल्ला की देशविरोधियों से देश की एकता पर आए खतरे को सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ के वीरनेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहचाना। एक देश में दो विधान दो निशान के खिलाफ देश व्यापी आन्दोलन चल पड़ा। पं० मुखर्जी के बलिदान से कश्मीर में चक्रांकित तिरंगा राज्यध्वज बन गया और सभी देशवासियों को कश्मीर में निर्वाध विचरण का अधिकार मिल गया। लेकिन शेख की कारगुजारी बंद नहीं हुई अंत में उसे नजरबंद करना पड़ा। लेकिन पं० नेहरू की ही पुत्री ने बंगलादेश के उदय के बाद कांग्रेस की राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण की पुनः भूल की और शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। उसे कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके निधन के बाद उसके कुलशत पुत्र डा० फारूख अब्दुल्ला को राजगद्दी मिली। ये अबतक लंदन में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और आतंक

वादियों से साठगाँठ रखते थे। इनके शासनकाल में आतंकवाद, कश्मीर में भयानक रूप से फैला। सन् 86 के समझौते के बाद स्व० राजीव गाँधी के साथ फारूख का नया समझौता हुआ और घाटी में मिलीजुली सरकार बनी। फारूख के शासनकाल का कच्चा चिट्ठा जगमोहन की नवप्रकाशित पुस्तक 'कश्मीर के वर्षानी दिन' में स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है।

आज का कश्मीर—

आज कश्मीर जल रहा है। रक्त की नदी में डूब रहा है। मन्दिर-देवालय और गुरुद्वारे ध्वस्त किये जा रहे हैं। उन्हें आग की भेंट किया जा रहा है। भारत भक्तों का जीवन, सम्मान और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। मुसलमान बन जाओ या अपनी बहु बेटियों और सम्पत्ति को यहीं छोड़ कर घाटी से पलायन कर जाओ। यह स्पष्ट आदेश कट्टरपंथी आतंकवादी दे रहे हैं। हिन्दुओं के घरों पर पोस्टर चिपके हुए हैं जिन पर लिखा है, कश्मीर घाटी खाली करके भाग जाओ अन्यथा मृत्यु की प्रतीक्षा करो। घर का सामान तथा अपनी लड़कियों को अपने साथ ले जाने का दुराग्रह न करना। तुम्हारी लड़कियों के लिए मुसलमान लड़के हमने देख रखे हैं। मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हें बाइजजत यहां रखा जाएगा। आदि आदि। यह उनकी कोरी धमकी नहीं है। जो वे कह रहे हैं उसे करके दिखा रहे हैं। हत्या, लूटपाट, आगजनी रोजमर्रा की बात हो गयी है, लड़कियों का सरेआम अपहरण होता है। कश्मीर घाटी में इन देशद्रोहियों का ही पूरा नियंत्रण है। उन्हीं का आदेश यहां चलता है। साइन बोर्डों पर से भारत का नाम काट दिया गया है। चाहे स्टेट बैंक आफ इण्डिया हो या इण्डियन काफी हाउस। इण्डिया या इण्डियन शब्द ही अब वहां नजर नहीं आते। सबको अपनी घड़ियां पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से मिलानी पड़ती हैं। अर्थात् भारतीय समय से आधा घंटे पीछे रखनी पड़ती है। कलाई घड़ी को बाईं की जगह दाहिनी कलाई पर बांधने को मजबूर किया जाता है। जो बैसा नहीं करे खैर नहीं। कट्टरपंथियों के आदेश पर सिनेमाघर बन्द हैं।

सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानों में ताले पड़े हैं। अधिकांश सरकारी विद्यालय या तो तोड़-फोड़ दिये गये हैं या अग्नि को समर्पित कर दिये गये। बस जमायते इस्लामी आदि द्वारा संचालित वही मदरसे वहां चल सकते हैं जिनमें कुरआन पढ़ाई जाती है। अनंतनाग शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया है। वहां की दुकानों व संस्थानों पर लगे 'अनंतनाग' नाम वाले साइनबोर्डों को पोत कर उन पर इस्लामाबाद लिख दिया गया है। देवनागरी लिपि में लिखे साइन बोर्ड लगाना खतरे से खाली नहीं है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले 'महाभारत' धारावाहिक को कोई न देखे यह कट्टरपंथियों का आदेश है। अनंतनाग निवासी 'रामजी' नाम के व्यापारी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसके घर पर हमला बोल कर उसे तहस-नहस कर दिया गया। उसके परिवार के आधा दर्जन लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। हिन्दू अब अपने रीति-रिवाज के अनुसार वहां विवाह नहीं कर सकते। बारात नहीं निकाल सकते। छिपकर शादियां रचायी जाती हैं। नव विवाहिताएं भी सुहागचिह्न बिन्दी नहीं लगा सकती। मेंहदी नहीं रचा सकती। साड़ी नहीं पहिन सकती। बुरके बिना कोई नजर नहीं आ सकती। यदि परदा न रहा तो चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है। हिन्दू महिलाओं का तो बाहर निकलना ही अपहरण या शीलभंग को निमंत्रण देना है। वहां भारतीय सिक्के नहीं चलते। व्यापारी पाकिस्तानी सिक्कों को ससम्मान स्वीकारते हैं तथा भारत का सिक्का दिये जाने पर थूक कर उसे फेंक देते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन लगभग इन देशद्रोहियों के नियंत्रण में हैं। दूरदर्शन अधिकारी कौल की निर्मम हत्या के बाद अब किसी कर्मचारी में आतंकवादियों के आदेशों की अनदेखी करने का साहस नहीं बचा है। अब वहां 'श्री' की जगह 'जनाब' का उपयोग करना होता है। सुरक्षा अधिकारियों व भारतभक्त पुलिस अफसरों की भी हत्या हो रही है। पुलिस और प्रशासन में सर्वत्र इन पाकपरस्तों की गहरी घुस पैठ है सर्वत्र भय व आतंक का साम्राज्य है। गली-गली में बनी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों से भयावनी

चेतावनियां दी जाती है। वहां से निर्देश मिलते ही हजारों लोग सड़कों पर निकल कर विनाश का तांडव करने लगते हैं। इस माहौल में भारत भक्त जगता का वहां टिका रहना ही असम्भव है। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि दो लाख कश्मीरी हिन्दू घर-द्वार को छोड़ कर शरणार्थी बन चुके हैं। जम्मू और दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में देशभक्त जन आठ-आठ आंसू बहा रहे हैं। पाक समर्थक उग्रवादी कश्मीर घाटी से हिन्दुओं को भगा चुके हैं। जनता दल और कांग्रेस की सरकारें इन्हें भूल चुकी हैं। याद रहे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में ही हिन्दुओं को मारने और भगाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। परन्तु विश्वनाथ प्रताप और स्व० राजीव गांधी सद्दाम हुसैन के नाम का जाप कर रहे थे।

समाधान के आवश्यक कदम —

कश्मीर की समस्या कोई आर्थिक समस्या नहीं है। यह पृथक्तावादी करतूतों वाले उन देशद्रोहियों की समर-नीति का परिणाम है जिन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण और सहायता मिली है अथवा मिल रही है। अब तो पाकिस्तान में उनके सहायताार्थ एक अलग कोष की ही स्थापना हो चुकी है।

वस्तुतः यह पाकिस्तान के कायर और धूर्त शासकों द्वारा हमारे राष्ट्र पर थोपा गया गुरिल्ला युद्ध है। कश्मीर में आतंक पैदा कर उसे सम्पूर्ण देश से पहले भावनात्मक रूप से तोड़ने और फिर उसे भौगोलिक रूप से पृथक् कर देने के पाकिस्तान के षड्यंत्र का यह एक हिस्सा है। अतः कश्मीर की वर्तमान स्थिति को सीधे सीधे पाकिस्तान का अघोषित आक्रमण माना जाना चाहिए।

कश्मीर की समस्या, राष्ट्रतिरोधी साम्प्रदायिक समस्या है। इस्लाम की दादागिरी चलाने वाले अन्तर्-प्ट्रीय धर्मोन्मादी गुट ने इसे पैदा किया है। भारत की प्रगति से चिन्तित महाशक्तियों का भी इस गुट को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन प्राप्त है।

दुर्भाग्य से कश्मीर में राजनैतिक प्रदूषण भी इतना बढ़ गया है कि जहाँ समस्या की गम्भीरता का सर्वानुमतिपूर्वक आत्मबोध किया जाना चाहिए था, वहीं समस्या का महत्तम राजनैतिक लाभ प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा-सी चल रही है। भला भारत और उसकी अखण्डता एवं उसके संविधान से शत्रुता रखने वाले पाकिस्तानी तत्त्वों से शांति राष्ट्रीयता और सद्भावना का अनुरोध करने से क्या लाभ ? इन राष्ट्रद्रोहियों को विद्रोह के ही स्तर पर कुचल दिया जाना चाहिए। धारा 370 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट अलगाववादी-कश्मीरीयत्व का आत्मबल टूटे तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का कश्मीर में भी पूर्ण और सम्यक् व्याप्ति हो। राजनैतिक प्रतिबद्धता को काश्मीर का कवच बनाकर बोट और हत्याओं के गणित से समस्या का हल प्रस्तुत करने वाले तो कश्मीर को देश से अलग करने में मदद कर रहे हैं।

आज कश्मीर की स्थिति की ओर राष्ट्रवादी भारतीय जनता की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय-दृष्टि मोड़ने, राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्र-बल को सुदृढ़ करने, भावनात्मक ऐक्य की चेतना को प्रखर करने और देशद्रोही, पृथक्तावादी तत्वों को निरावरण एवं हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।



छंटनी

जय नारायण शर्मा

मंत्री

भारतीय मजदूर संघ, सिंहभूम जिला

औद्योगिक अशांति के महत्वपूर्ण कारणों में छंटनी भी एक कारण रहा है इसका नौकरी की सुरक्षा की समस्या पर सौधा प्रभाव पड़ता है इसलिए इससे श्रमिक सदैव भयभीत रहता है। सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से छंटनी के सम्बन्ध में अनेक प्रावधानों का कानून में समावेश किया है फिर भी श्रमिकों के लिए वास्तविक सुरक्षा उनके स्वयं के प्रयत्नों एवं श्रम संघों के माध्यम से मिल सकती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दी गई छंटनी की परिभाषा के अनुसार प्रबन्ध द्वारा किसी भी कारण से श्रमिकों की सेवा समाप्ति को छंटनी कहते हैं परन्तु अनुशासनात्मक कार्य बाही द्वारा दण्ड स्वरूप सेवा समाप्ति, समझौते के अनुसार अवकाश ग्रहण या लगातार अस्वस्थता के कारण सेवा समाप्ति या मनेजमेंट के नियंत्रण के बाहर व्यापार बंद होने के कारण श्रमिक की वरिष्ठास्तिगी, छंटनी के श्रेणी में नहीं आते हैं।

निम्नलिखित मामलों में छंटनी उचित नहीं है।

1. अगर यह श्रमिकों के मांगों के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है।
2. अगर अभिनवी करण की चाल का परिणाम है।
3. अगर जुनियर को रोक कर सीनियर श्रमिकों की छंटनी की जाय।
4. अगर यह बिना एक माह सूचना अथवा सूचना वेतन के हो।



5. अगर यह बिना क्षति पुति के की गई हो।
 6. अगर यह दण्ड के रूप में थोपी गई है।
 7. अगर यह वृद्धावस्था के कारण की गई हो। और स्थाई आदेशों में इस प्रकार का प्रावधान न हो।
 8. यदि यह अकारण दंडित करने के लिए आवरण स्वरूप है।
- किसी भी मनेजमेंट को किसी श्रमिक की छंटनी करते समय निम्नलिखित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है—
1. जहाँ छंटनी किये जाने की संभावना हो वहाँ सभी वर्ग के कामगारों की सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाना चाहिए। पहले जूनियर श्रमिक की छंटनी होगी।

2. श्रमिकों को छंटनी का स्पष्ट कारण बताते हुए या तो एक माह की लिखित सूचना दी जानी चाहिए या सूचना की अवधि के लिए मजदूरी दी जायगी।
3. श्रमिकों को छंटनी की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। क्षतिपूर्ति की रकम प्रत्येक वर्ष की पूरी की गई सेवा पर 15 दिन की औसत मजदूरी के बराबर होगी।
4. सरकार को निर्धारित प्रपत्र पर सूचना देना अनिवार्य है।
5. एक समझौते के अन्तर्गत छंटनी की जा सकती है। ऐसे मामलों में किसी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है फिर भी समझौते में इस प्रकार की छंटनी की तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

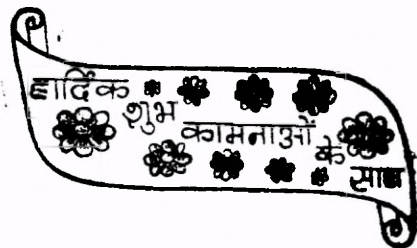
कभी-कभी एक कारखाने का मालिक अपना व्यापार बेच देता है और एक नया मालिक उसे खरीद लेता है। यदि श्रमिक ने एक वर्ष अनवरत काम किया है और उसकी छंटनी होती है तो उसे सेवा समाप्ति के लिए क्षति पूर्ति प्राप्त होगी। स्वामित्व परिवर्तन की स्थिति में निम्न परिस्थितियों में कोई क्षति पूर्ति नहीं माँगी जा सकती है —

- (A) सेवा योजकों के मध्य स्वामित्व हस्तान्तरण से श्रमिक की सेवा भंग न हुई हो।
- (B) परिवर्तन के बाद श्रमिक पर लागू सेवा की शर्तें तथा दशाएँ पहले भी लागू शर्तों की तुलना में किसी भी हालत में कम लाभदायक न हो।

जो श्रमिक एक वर्ष लगातार काम कर चुका है वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी होता है। एक वर्ष का तात्पर्य बारह माह में दो सौ चालिस दिन की अवधि तक काम करने से है। दो सौ चालिस दिन की अवधि में निम्न-लिखित अवधि भी शामिल हैं।

1. किसी समझौते या प्रतिष्ठान के स्थाई आदेशों के अन्तर्गत छुट्टी की अवधि।
2. पिछले वर्ष में अर्जित पूर्ण सवैतनिक अवकाश की अवधि।
3. महिला श्रमिक के मामले में मातृत्व के लिए अवकाश की अवधि जबकि यह अवकाश बारह सप्ताह से अधिक न हो।

जिस प्रतिष्ठान में ग्रैच्यूटी योजना लागू हो वैसे प्रतिष्ठान में श्रमिक, छंटनी क्षतिपूर्ति के अलावा ग्रैच्यूटी का भी अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में किसी भ्रम की सम्भावना नहीं है।



गोपाल दास सरदाना

राँची

बैंक कर्मियों के साथ घोर विश्वासघात

श्री सुरेश राय, महामंत्री

बिहार प्रदेश एसोसिएशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इम्प्लॉईज

भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया, परन्तु भारतवर्ष के बैंककर्मों आज चीन एवं रूस के स्वार्थी अनुयायियों और क्रूर वामपंथियों द्वारा गुलाम बना लिए गए हैं। ए० आई० बी० ई० ए०, एन० सी० बी० ई० एवं बी० ई० एफ० आई० जैसे श्रम संघटनों के नेताओं ने आज तक बैंक कर्मचारियों के हितों की जो सोदेवाजी की है और अपनी जीवनवृत्ति पर निरन्तर होते रहे जिन आघातों को बैंककर्मियों ने धैर्यपूर्वक सहा है उनसे उपरोक्त कथन की सत्यता पर किंचित् सदेह नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत निबंध में मैं कुछ बिन्दुओं पर कर्मचारियों के स्वयंभू वामपंथी नेताओं की भूमिका को स्पष्ट करना चाहता हूँ—

(क) कम्प्यूटरीकरण :

कम्प्यूटरीकरण का बहुचर्चित नाटक सरकार एवं वामपंथी ट्रेड यूनियनों के द्वारा मिलकर खेला गया। अबतक हुए कम्प्यूटरीकरण की उपलब्धियों की ही समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह नाटक कर्मचारियों और देश दोनों ही के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। 22. 8. 1983 को केन्द्रीय श्रम संघटनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक में बोलते हुए ए० आई० बी० ई० ए० के महासचिव श्री तारकेश्वर चक्रवर्ती ने घोषणा की थी कि बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण नहीं होने देगे परन्तु उनका संघटन, गुपचुप आई० बी० ए० के साथ कम्प्यूटरीकरण हेतु सहमत हो गया जिसकी सूचना आई० बी० ए० ने एन० ओ० बी० डब्लू० (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) को देते हुए आर्गेनाइजेशन से भी सहमत होने का प्रस्ताव रखा। आर्गेनाइजेशन ने जब उक्त समझौते का प्रारूप देखना चाहा तो आई० बी० ए० ने कहा कि प्रारूप बना ही नहीं है। किन्तु प्रारूप आई० बी० ए० की प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद 8 सितम्बर 1983 को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के

समक्ष दिल्ली में समझौता हस्ताक्षरित होगा। 5 सितम्बर को ही यूनियनों के नेता दिल्ली पहुँच गये परन्तु 8 सितम्बर को समझौते पर हस्ताक्षर करने तक उन्होंने प्रारूप देखा तक नहीं। यह कर्मचारियों का हितपोषण हुआ या आई० बी० ए० के प्रति अघ भक्ति! ठीक इसके विपरीत आर्गेनाइजेशन ने कर्मचारियों के स्वाभिमान और हित-हानि को देखते हुए इस समझौते का पक्ष बनने से इनकार कर दिया, जिसकी कीमत आर्गेनाइजेशन को द्विपक्षीय समझौते से बाहर होकर चुकानी पड़ी। इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि बैंकिंग उद्योग में आवश्यकतानुसार भर्ती कम हो गई जबकि नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार विगत सात वर्षों में 2 लाख नई भर्तियाँ एवं 50,000 कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ अपेक्षित थीं। कम्प्यूटरीकरण के पक्षधरों का यह तर्क कि इससे बैंकों की क्षमता में वृद्धि होगी, भी मृगतृष्णा ही सिद्ध हुआ।

नये बचत खोलने को इच्छुक ग्राहकों को यह कहा जा रहा है कि कम्प्यूटरों की क्षमता पूरी हो गई है, नए कम्प्यूटर आने तक नये खाते नहीं खोले जा सकते। कम्प्यूटरों की वजह से धोखाधड़ी करने वाले भी लाभान्वित हो रहे हैं। अनेक ग्राहक अपने खाते उन बैंकों में ले जा रहे हैं जहाँ कम्प्यूटर नहीं लगे हैं।

बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह खर्च आवर्त्ती प्रकृति से आगे भी होते रहेगा क्योंकि हर तीन वर्ष पर कम्प्यूटर बदलना पड़ेगा।

(ख) पाँचवाँ वेतन समझौता :

अन्य संस्थानों की तुलना में बैंकों के कर्मचारियों की सुविधाएँ निरन्तर घटती जा रही हैं। इसके लिए सरकार और वार्ताकार यूनियन दोनों जिम्मेवार हैं। सुदूर

अतीत को छोड़ भी दें और विगत 10. 4. 89 को संपन्न 5वें वेतन समझौते को ही लें, जिसका 29. 6. 89 को संशोधन भी हो चुका है। प्रत्येक वेतन-समझौता चार वर्षों के अन्तराल पर होता है; गरज यह कि हर समझौते की श्रुतियों की मार आम कर्मचारी कम से कम चार वर्षों तक सहने को इस आशा के साथ विवश होते हैं कि अगला समझौता कुछ दे सके। परन्तु अब कर्मचारियों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है, आई० बी० ई० ए० के नेतागण वेतन समझौते एक ही फार्मूले पर करते हैं और वह है—मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़ना यानी मर्जर ऑफ डी० ए०। आज यदि न्यायमूर्ति श्री के० टी० देशाई ने 1962 से महंगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नहीं सबद्ध किया होता तो शायद बैंकिंग उद्योग में कोई समझौता ही नहीं हो पाता। क्योंकि हर 3 महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ता नहीं और कामरेडों के पास मर्जर करने के सिवा दूसरा फार्मूला नहीं है। ए० आई० बी० ई० ए० का वश चला होता तो यह महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को मुअस्सर नहीं होता क्योंकि 21. 1. 79 को तत्कालीन वित्त मंत्री एच० एम० पटेल एवं श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा के समक्ष उक्त संघटन ने अधिकृत रूप से बैंक कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते पर "टेपरिंग" हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी। फलस्वरूप लिपिक वर्ग को देय महंगाई भत्ते पर वेतन के 12वें चरण के पश्चात् टेपरिंग लागू हो जाता। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद है कि सौभाग्य से राष्ट्र उद्योग और मजदूरों के हितों के लिए कटिबद्ध आर्गनाइजेशन जैसी राष्ट्रवादी संस्था ने अपने तीव्र आंदोलन से कामरेडों के नापाक मनसूवों को नाकाम कर दिया।

यदि वेतन निर्धारण एवं अन्य सेवा सुविधाओं पर संघर्ष के सुदीर्घ इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि आर्गनाइजेशन ने सदैव अपने आन्दोलनों के हतुमान चालीसा पाठ से वामपंथियों की शानि दृष्टि को निष्फल किया है।

बैंकिंग उद्योगों में बढ़ते हुए काम और दायित्व पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों के

हितों के अनुरूप वेतन समझौतों में बड़े ही सूझ-बूझ की आवश्यकता थी। और तो और, वार्ताकार यूनियन के महासचिव ने इकानामिक टाईम्स, दिनांक 13. 9. 90 के बैंगलूर संस्करण में "ट्रेडिंग पैलेसेस" नाम से प्रकाशित एक लेख में यह राय व्यक्त कर दी है कि बैंक कमियों को भरपूर पगार मिल रहा है अतः उनके काम में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को समझौता वार्ताओं से दूर रखना कितना आवश्यक हो गया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक-शाखाएँ—

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की मात्रा अप्रत्याशित रूप से कम है जब कि कार्य बहुत ही ज्यादा। कई प्रकार के लोन, शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, बचत खाते आदि का भुगतान एवं संचालन, आदि कार्य बड़े गंभीर और विस्तृत प्रकृति के हैं जिन्हें मात्र एक या दो लिपिकों तथा एक संदेशवाहक या अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को देकर कराया जा रहा है। इन शाखाओं में सुरक्षा के नाम पर या तो आर्म गार्ड ही नहीं है या हैं तो उन्हें बाराम तक नहीं दिया गया है। इन क्षेत्रों में यातायात की भी घोर असुविधा है। कहीं नक्सली आतंक है तो कहीं जातीय तनाव। पुलिस का हस्तक्षेप भी बैंक कमियों को आतंकित किए हुए है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वार्ताकार यूनियनों ने हाउसरेंट 12% की जगह 6.5% दिलवाया उनके लिए सिटी एलाउएंस की मांग वे कैसे करते? रूरल एलाउएंस ही कुछ दिलाने की सोचते! बैंक प्रबंधन को चाहिए था कि वह इन कर्मचारियों के लिए बजीवन बीमा और आवास की भी सुविधा मुहैया करवाता। मैं तो दावे के साथ कहूंगा कि बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण पर जितना खर्च किया गया उतना यदि कर्मचारियों पर किया जाय तो शायद ग्राहक सेवा धन्य हो जाती, साथ ही राष्ट्र एवं बैंक के उपर पड़ने वाले भार से मुक्ति भी मिल जाती।

आज यह युग की आवश्यकता है कि बैंक कर्मचारियों के एकमात्र हितैषी आर्गनाइजेशन को सब प्रकार से सशक्त बनाकर स्वार्थी और सत्ता लोलुप साम्यवादी श्रम संघटनों को वार्ता की भेज से चलता कर दिया जाय।

पहाड़ लगने लगी है खदान कर्मियों को अपनी जिन्दगी

दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव

केन्द्र एवं राज्य सरकार की दोरंगी एवं उपेक्षापूर्ण नीति के चलते पत्थर एवं चीनी मिट्टी के खदानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी जिन्दगी भार लगने लगी है। जिसका मुख्य कारण इन दोनों खदानों को छोड़कर प्रायः शेष सभी प्रकार के खदानों का राष्ट्रीयकरण करना है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत खदानों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन-स्तर का विचार करने का दायित्व तो सरकारों ने अपने ऊपर ले ली है, किन्तु निजी क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाला खदानों का न्यूनतम वेतन तथा खदान अधिनियम के नियंत्रण का मामला अपने हाथों में रखने के उपरांत भी उनके पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा कर रही है। फलस्वरूप एक ही स्तर पर कार्यरत राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्रों के खदान कर्मचारियों के वेतन में 3 : 1 का अन्तर व्याप्त है।

वर्ष 1988 के 25 अक्टूबर से भारत सरकार ने जो न्यूनतम वेतन लागू किया था उसमें बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर विशेष भत्ता देय माना था, जो प्रति छह माह पर लागू माना गया था। किन्तु, आश्चर्य तब होता है जब इस विशेष महंगाई भत्ते में भी राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के कर्मियों को मूलवेतन एवं भत्ता समेत उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितना कि सरकारी क्षेत्र के कर्मियों को सिर्फ मूल वेतन मिलता है। संभवतः इन बातों के निर्धारण के समय मानवीयता को भूला दिया जाता है। यही अंतर दोनों क्षेत्रों के कर्मियों के अन्दर क्रय शक्ति की विषमता तो उत्पन्न करती ही है हीनता उत्पन्न कर कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है।

लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं ये निजी क्षेत्र के खदानकर्मी जो इतनी विषमताओं और उपेक्षा के उपरांत भी संघर्ष के साथ-साथ उत्पादन भी पर्याप्त करते हैं।

इस विषमता को एक उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है - किसी सरकारी कार्यालय या खदान कर्मचारी का मूल वेतन 1250/- रुपये हैं तथा महंगाई भत्ता 650/- रुपये, कुल 2000/- रुपये मासिक देय है। जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को मूल वेतन 617 रुपये 50 पैसे तथा महंगाई भत्ता 100 रुपये 62 पैसे, कुल 717 रुपये मात्र मिलते हैं। यही उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं औद्योगिक प्रगति एवं राष्ट्रीय श्रमशक्ति के विकास में बाधक ही नहीं घातक भी सिद्ध होते हैं।

दिनानुदिन बढ़ती मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ सरकारें महंगाई भत्ते के नाम पर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मध्य भत्ता दर में दोरंगी नीति अपना कर निजी क्षेत्र के खदान-कर्मियों के साथ घोर भ्रम्याय कर रही हैं। पत्थर के क्षेत्र में कहीं-कहीं बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा भी खदानें चलाई जाती हैं। इन खदानकर्मियों के वेतन एवं विशेष भत्ते की तुलना में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को देय भत्ता बहुत कम है। इस प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण रखनेवाली सरकार स्वयं दोषी है। क्या उसका दायित्व करोड़ों में सिर्फ राजस्व प्राप्त करना ही रह गया है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की नीति पत्थर एवं

चीनी मिट्टी खदानों से केवल राजस्व प्राप्त करने तक ही सीमित होने के कारण निजी क्षेत्र के प्रबन्धन की शोषक नीति चल रही है। न्यूनतम वेतन निर्धारण में कर्मचारियों की मौलिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर अत्यल्प वेतन का निर्धारण करवाकर अकुशल श्रमिकों से ठेके पर काम लिया जाता है। जिससे प्रबन्धन अधिकाधिक उत्पादन का लाभ पा जाता है। किन्तु उक्त उत्पादन के लाभ से जुड़े शेष कर्मचारियों को सर्वथा वंचित रखा जाता है। जहाँ ठेके पर काम करने के कारण अकुशल श्रमिक प्रति दिन 40/- रुपये से 50/- रुपये तक की आय कर लेता है, वहीं अर्द्धकुशल तथा कुशल कर्मचारी मात्र 22 रुपये 29 पैसे तथा 27 रुपये 62 पैसे की न्यूनतम मजदूरी पर संतोष करने को विवश हो जाते हैं।

यदि सरकार इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकतम कार्यक्षमता के आधार पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण करे तो इसका लाभ प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को मिल पाएगा। अथवा इन कर्मचारियों के अनुरूप मूलवेतन + वार्षिक वृद्धि + महंगाई भत्ता + अन्य सेवा शर्तों यथा—आवास, पेंसन, यात्रा-भत्ता तथा परिवार के एक सदस्य का नियोजन आदि की व्यवस्था भी सरकार करे तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपने भविष्य के प्रति निश्चित होकर और भी अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि कर सकेंगे।

निजी क्षेत्रों में अब तक न्यूनतम वेतन निर्धारण में मात्र तीन श्रेणियों अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के रूप में विभाजन किया गया है जो पूर्णतः अव्यवहारिक है। अतएव सरकार/प्रबन्धन खासकर कार्यालयीय कर्मचारियों हेतु कार्य के आधार पर श्रेणी बनाकर वेतन का निर्धारण करे तो अच्छा रहेगा।

पत्थर एवं चीनी मिट्टी के खदानों में कार्यरत श्रमिकों को जहाँ अत्यल्प वेतन मिलता है वहीं कार्यस्थल या क्षेत्र में उड़ने वाली धूल कणों के कारण आम तौर पर श्रमिक 'सिलिकोसिस' जैसी असाध्य बिमारियों का शिकार होकर असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। जहाँ न उनकी चिकित्सा हेतु पर्याप्त सुविधाएँ हैं और न अवसर ही। फिर ऐसे खानों के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में होने के कारण प्रबन्धन की बात तो दूर सरकार भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सचेष्ट नहीं है। यही कारण है कि जहाँ कार्यरत कर्मचारी पर्यावरण प्रदूषण का शिकार होते हैं वहीं आस-पास के इलाकों की खेती भी प्रभावित होती है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पर्यावरण और आस-पास के इलाकों का न सही कार्यरत कर्मचारियों के कुटुम्ब का ही ध्यान रखते हुए एक श्रम कल्याण ससिति का गठन कर उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करे। यह दायित्व श्रम मंत्रालय सहित केन्द्र सरकार का प्रमुख रूप से है।

[“आज” दिनांक 26 सितम्बर '91 से साप्ताहिक]

वेतनभोगियों से आयकर क्यों ?

शिवदत्त मिश्र

अध्यक्ष, बिहार राज्य सरकारी महासंघ

भोजन, वस्त्र और आवास जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताएँ हैं। कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को दिया जानेवाला वेतन उक्त तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी का वेतन इतना नहीं है जिससे वह अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त विलासिता की सामग्री खरीद सके। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए गए वेतन को आय मानकर आयकर लेना कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि वेतनभोगियों को जो वास्तविक वेतन भुगतान किया जाता है वह वेतन वस्तुतः जो उनका वेतन होना चाहिए उससे 12-33 प्रतिशत कम होता है ऐसा माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे श्रमिक मनीषियों की सुविचारित धारणा है जिन्होंने बोनस के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। भले ही सरकार बोनस के सिद्धान्त को पूर्णतः नहीं लागू करके मनमाने ढंग से वेतन की सीमा निर्धारित करके देती है, जो कदापि युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता है।

बढ़े हुए बाजार भाव के शून्यीकरण के लिए महंगाई भत्ता और मकान में रहने के लिए मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें भी सरकार आय कर लेती है, क्यों ?

इसलिए कि सरकार को वेतनभोगियों से आय आसानी से बिना मेहनत किये और बाध्यपूर्वक मिल

जाता है और सरकारी आंकड़े का भी प्रदर्शन हो जाता है कि सरकार ने इतनी राशि आयकरदाताओं से वसूल की है।

वास्तविकता यह है कि जिनलोगों से आयकर वस्तुतः सरकार को मिलना चाहिए उनसे सरकार को आयकर वसूल करने में विफल रहती है। बड़ी-बड़ी आय वाले लोग आयकर पचाने में माहिर होते हैं अथवा वे सरकार को आयकर नहीं देने का साहस रखते हैं अथवा आयकर भुगतान नहीं करना पड़े—इसकी व्यवस्था करने में सफल होते हैं। लेकिन बेचारे निरीह वेतनभोगी बंधे हुए हैं, उनके वेतन से नियमित आयकर काट लिया जाता है, चाहे वेतन को आय की परिभाषा दिया जा सके अथवा नहीं।

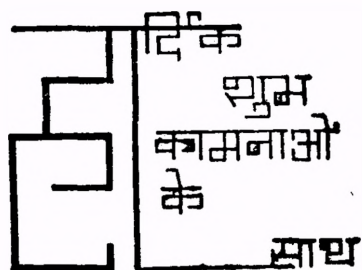
क्या सरकार इस पर निष्पक्ष विचारकों की सलाह लेने का साहस कर सकती है कि “वेतन” को “आय” करने का क्या औचित्य है। क्या सरकार निरीह बकरों की बलि न चढ़ाकर शेरों की बलि चढ़ाने का दुस्साहस कर सकती है, यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो उसे भगवान बुद्ध की तरह अहिंसा का मार्ग ही चुन लेना चाहिए — “अहिंसा परमो धर्मः”।

जो सरकार ऐसे निरीहों को बलि का बकरा बनाती है, कभी इन बलि के बकरों की प्रतिक्रिया से वह सरकार भी बलि के बकरे की परमगति को प्राप्त कर सकती है—ऐसी चेतना नितान्त आवश्यक है।

इन बातों के अतिरिक्त वेतनभोगियों पर आयकर लगाने से उनके अन्दर भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति का विकास होता है। कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के चरित्र-निर्माण और उनके अन्तर्गत राष्ट्रीय भावना का निर्माण करने में आयकर बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आ जाता है क्योंकि वेतनभोगियों से आयकर की वसूली को उनके हित में घोर अन्याय समझा जाता है। आयकर मानवता के आधार पर और उसी उद्देश्य से समाज के उन वर्गों पर लगाना उचित होगा जिन्हें वस्तुतः आय के वास्तविक अर्थ में अर्जित करने में

सफलता मिलती है ताकि समाज के किसी वर्ग को यह कहने का अवसर नहीं मिल सके कि उन पर आयकर लगाना घोर अन्याय है क्योंकि 'आय' का अर्थ लगाने में अनर्थ किया जा रहा है।

मंत्रियों की आय पर लगने वाले आयकर की राशि की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन पर आयकर नहीं लगता है। इसलिए अन्य वेतनभोगियों से भी यदि आयकर लिया जाता है तो उसका भुगतान सरकार करें ऐसी व्यवस्था की जाय।



मेसर्स विद्यार्थी स्टोन वर्क्स

महाराजपुर, साहबगंज



उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

रामप्रकाश मिश्र

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे पहले जीवन मूल्य सूचकांक कहा जाता था, का स्वयं एक संक्षिप्त इतिहास है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय जब महंगाई बढ़ी और उपभोक्ता वस्तुएँ महंगी मिलने लगी तो कुछ प्रदेश सरकारों ने यह अनुभव किया कि इससे तो मजदूर वर्ग पर जायिक बोझ बढ़ा है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जीवन खर्च का सर्वेक्षण कराया। और उसका नाम जीवन मूल्य सूचकांक (Living Price Index) रखा। एक परिवार पर कितना खर्च आता है इसकी जांच सबसे पहले बिहार के डालमिया नगर में की गई। यह समय 1124—1912 का था। इस प्रकार बम्बई में 1921, सोलापुर में 1925 तथा अहमदाबाद में 1926 में जांच कराई गई। किन्तु यह सर्वेक्षण आज की तरह न तो वैज्ञानिक था और न ही विस्तृत।

भारत में श्रमिकों के लिए बने रायल कमीशन ने वर्ष 1931 में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों की ध्यान में रखकर अनेक केन्द्रों के जीवन मूल्य सूचकांक निकाले गये।

द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच उपभोक्ता मूल्यों में काफी तेजी से वृद्धि हुई। पुनः प्रश्न उठा कि कर्मचारियों को इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाय। क्षतिपूर्ति के नाम पर जो पैसा बढ़ाया गया उसी का नाम “महंगाई भत्ता” पड़ा। यद्यपि विश्व के किसी भी देश में महंगाई भत्ता देने की प्रथा नहीं है। उस समय अंग्रेजों के अधीन भारत या कभी उसके अंग रहे पाकिस्तान, बंगला देश,

श्रीलंका और भारत में महंगाई भत्ता देने की प्रथा प्रारम्भ हुई जो आज भी चालू है।

राव कोर्ट जब रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने पर विचार कर रहा था तो उसके सामने कोई अधिकृत आधार नहीं था। इस कठिनाई को देखते हुए भारत सरकार ने 1941 में “जीवन मूल्य सूचकांक योजना” की घोषणा की। और “दि कास्ट आफ लिविंग इनडेक्स के डाइरेक्टर ने वर्ष 1943—46 तक 22 औद्योगिक केन्द्रों पर पारिवारिक बजट की जांच की। कुछ प्रदेश सरकारों ने स्वेच्छा से जांच करके अपने राज्य का लिविंग प्राइसइन्डेक्स (जीवन मूल्य सूचकांक) निकाला भी।

उदाहरणार्थ—उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मद्रास, अहमदाबाद, बम्बई तथा मैसूर। हैदराबाद में 1943 तथा शेष प्रदेशों में 1944 से लिविंग प्राइस इण्डेक्स निकाला गया।

लिविंग प्राइस इन्डेक्स के समय विभिन्न सामाजिक ग्रुपों के खर्च निकाले जाते थे। आजकल मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, व सेत मजदूर के अलग-अलग सूचकांक निकाले जाते हैं।

अलग-अलग वस्तुओं के दाम पता लगाये जाते हैं। इसके लिए “वस्तुओं व सेवाओं” की टोकरी शब्द दिया गया है। यदि टोकरी में 60 वस्तुएँ होंगी तो माह या वर्ष में जो मूल्यों में प्रतिशत की वृद्धि होगी वह अलग-अलग 60 होंगी। किन्तु टोकरी की किसी वस्तु की प्रतिशत वृद्धि “भार” नाम से सम्बोधित की जाएगी।

चावल की औसत कीमत

	बाजार—1		बाजार—2		
	पहली दुकान	दूसरी दुकान	पहली दुकान	दूसरी दुकान	औसत बाजार मूल्य
पहला सप्ताह	4.25	4.30	4.30	4.25	4.28
दूसरा सप्ताह	4.30	4.35	4.30	4.30	4.31
तीसरा सप्ताह	4.25	4.35	4.35	4.30	4.31
चौथा सप्ताह	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40

17.30

चावल का औसत मूल्य प्रत्येक माह का = 4.33

यदि आधार वर्ष चावल का मूल्य 1.30 रु० था ।

इसलिए बढ़ा मूल्य $4.30 - 1.30 = 3.03$ रु०

इसलिए चावल का औसत मूल्य प्रतिशत में = $3.03 \times 100 = 303$

चावल का मूल्य सूचकांक इस माह का 303 हुआ ।

वार्षिक औसत अंक साधारण औसत अंक पर निकाला जा सकता है ।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने का तरीका यही है । किसी केन्द्र के सामान्य सूचकांक को उसके भार से गुणा किया जाता है । गुणनफल को जोड़ा जाता है और 100 से भाग दे दिया जाता है ।

मूल्य सूचकांक के विषय में काफी शिकायत है । क्योंकि यह सूचकांक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नहीं दर्शाता है । विभिन्न केन्द्रों पर बढ़ती कीमतों के कारण मजदूर मूल्य वृद्धि का शिकार होता है, किन्तु मूल्य सूचकांक में गिरावट दिखाई देती है । 1963 में बम्बई की महंगाई अधिक थी उसको देखते हुए अंक में गिरावट आई । आन्दोलन हुआ । लकड़ावाला कमेटी बनी जाँच हुई । अंकों में 21 अंक की गड़बड़ी पाई गई । अहमदाबाद में भी यही गड़बड़ी हुई । इसकी जाँच हेतु देसाई समिति बनी । यहाँ भी गलती पकड़ी गई, कामचारियों को कम मिले पैसे की क्षतिपूर्ति को गई ।

दिल्ली में भी जाँच कराने हेतु समिति गठित किए जाने की बात हुई । सूचकांक में पाई गई त्रुटियों की जाँच हेतु ऐसी अनेक कमेटियाँ बनीं ।

नये सिरे से पारिवारिक वज्र की जाँच किए जाने हेतु तथा तदनुसार नया वर्ष आधार 1982 को मानने की सरकार ने तैयारी की । किन्तु तैयारी करते 5-6 वर्ष बीत गये । अनेक सेमिनार किए गये । वर्ष 1985 में आधार वर्ष 82 के अनुसार जनवरी में 119 अंक, फरवरी में 119 अंक तथा मार्च में 120 अंक आए । और वर्ष 1985 में जनवरी से दिसम्बर तक के सभी माह का औसत अंक आधार वर्ष 1960 के अनुसार 475 था । अर्थात् गुणक खण्ड 475 में 100 से भाग देने पर 4.75 हुआ । वर्ष 85 के जनवरी, फरवरी व मार्च के अंक 119, 119, 120 को जब आधार वर्ष 82 के अनुसार परिवर्तित किया गया तो 119×4.75 , $120 \times 4.75 = 565 - 565$ व 570 आया जबकि वे अंक आधार वर्ष 60 के अनुसार 588, 585, 586 थे । अर्थात् 23,

20, 21 अंक कम हो गया। इसलिए गुणक खण्ड में अनुमान से वृद्धि की गई ताकि यह कमी दूर की जा सके। 4.75 के स्थान पर गुणक खण्ड 4.93 कर दिया गया। यह भी अनुमान से किया गया। इसका सही आधार नहीं था।

न्यूट्रलाइजेशन :

राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करते समय कोई अंक आधार मानती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य ने 500 महंगाई अंक को आधार मानकर 375/- वेतन तय करती है तो प्रति अंक कीमत 75 पैसे मानी गई है। यदि 500 अंक पर 500/- ₹ वेतन तय होता है तो प्रति अंक कीमत एक रुपया मानी गई। यदि 500 अंक पर 625 वेतन तय होता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि प्रति अंक की कीमत 1 रुपया 25 पैसे मानी गई। प्रति अंक की कीमत जो रुपये या पैसे में आंकी गई इस अंकन क्रिया का नाम आजकल न्यूट्रलाइजेशन है।

केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन 608 अंक पर 750/- रुपया तय किया गया। इसका तात्पर्य है कि प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन 1 ₹ 24 पैसे किया गया। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन प्रति अंक 1.97 पैसे कीमत मानकर निर्धारित किया गया। प्रत्येक उद्योगों के वेतन निर्धारण एक साथ नहीं हुए हैं इसलिए आधार अंक में अन्तर है। जबकि सूत्र एक है। किन्तु बढ़ती महंगाई का सही समनीकरण जिस प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है उससे नहीं हो पाता है। बढ़ती महंगाई का उचित समीकरण ही समतलीकरण है।

असली वेतन :

हमारे देश में असली वेतन की प्रथा थी जो धीरे-धीरे असली से नकली में बदल गई। रुपये के बदले में जितनी वस्तु मिलती है वह असली वेतन है। माना कि 1 ₹ में सन 1910 में 15 सेर चावल मिलता था और यही 15 सेन् चावल आज 75 ₹ में मिल रहा है। हमें एक रुपये में या तो 15 सेर चावल दिया जाए या

1 ₹ के बदले 75 ₹ दिया जाय तभी वेतन सुरक्षा हो सकती है। बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीत के कारण आज जो भी वेतन मिल रहा है वह बहुत कम है। अतः असली वेतन की सुरक्षा अति आवश्यक है।

महंगाई भत्ता :

भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान व बंगला देश जो कभी भारत के ही अंग थे में प्रथम विश्व युद्ध काल से महंगाई भत्ता दिए जाने की प्रथा है और वह आज भी चालू है। भारतीय मजदूर संघ ने माँग किया कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए तथा इसका सीधा सम्बन्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाय। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है त्यों-त्यों वेतन की वृद्धि की जाय किन्तु आज तक ऐसा नहीं किया गया। जबकि इसकी आवश्यकता है। किन्तु इन सभी बातों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी अति आवश्यक है। जिसका एक अति संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है।

लेद का विषय है कि अधिक दिनों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में काफी शिकवा शिकायत है। कारण कि यह सूचकांक अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वास्तविक वृद्धि को नहीं दर्शाता है। विभिन्न केन्द्रों के मजदूर बढ़ती कीमतों से परेशान होते हैं। जबकि उन केन्द्रों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट दिखाई जाती है। इस प्रकार की वास्तविक कठिनाईयों को व्यवहारिक रूप देने के बजाय यह कहा जाता है कि मूल्यों की जांच का आधार वैज्ञानिक है। लकड़ाबाज़ा समिति ने जो मुझाब दिये थे उसे शील कमेटी ने नहीं माना। शील कमेटी ने 1980-81 श्रृंखला का बुनियादी ढाँचा तैयार किया। सरकार ने पारिवारिक बजट का अध्ययन करने के बाद वर्ष 1982 के आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य निकालने का तय किया जो आज लागू है।

सूचकांक निकालने के लिए वर्ष 1943—46 तक 22 औद्योगिक केन्द्रों पर मजदूरों के खर्चें और उपभोक्ता

वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की जाँच की गई थी। जिसके आधार पर आधार वर्ष 1949 तय किया गया। 1958-59 में पुनः सर्वे कराया गया जिसमें 50 औद्योगिक केन्द्र शामिल थे। यह काम टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी आन कास्ट आफ लिविंग इण्डेक्स ने किया। इसमें तीन प्रकार के उद्योग सामिल थे। फैक्ट्री माइन्स और प्लान्टेशन। इसमें जाँच के आधार पर वर्ष 1960 की सिरीज बनाई गई। इसके बाद 44 फैक्ट्री 7 माइन्स व 9 प्लान्टेशन के मजदूरों का 60 केन्द्रों पर पारिवारिक

बजट की जाँच की गई। और 1972 की सिरीज बनाई गई जिसे लागू नहीं किया गया। अब 1982 की सिरीज 70 केन्द्रों पर पारिवारिक बजट की जाँच करके बनाई गई है जिसमें फैक्ट्री, माइन्स, प्लान्टेशन, बिजली, (जेनरेशन व डिस्ट्रिब्यूशन) परिवहन ट्रांसपोर्ट अन्डर टेकिंग, रेलवे, डाक तथा पोर्ट के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। इस संक्षिप्त विवरण के साथ यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को समझें तो सरलता होगी।



उत्तम कोटि के चीप्स निर्माता एवं वितरक

मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी

महाराजपुर, साहबगंज



कर्मचारी भविष्य निधि योजना

विनोद कुमार सिंह

जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, पटना

अनादि काल से ही मनुष्य दुःख एवं अभावों से त्राण प्राप्त करने के विधानों की खोज में रहा है। सामाजिक चेतना जैसे-जैसे विकसित होती गई, तकनीकी प्रगति हुई, आर्थिक विकास का पहिया अग्रसर होता रहा, वैसे-वैसे ही सामाजिक सुरक्षा के भी विभिन्न आयाम विकसित होते गए। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में विश्व के कतिपय देशों में सामाजिक सुरक्षा का आरम्भ एक लघु प्रयास था, वहीं अब दुनिया के लगभग सभी भागों में यह जीवन का एक स्थायी स्वरूप ग्रहण कर चुका है।

आधुनिक जीवन के तनावों के मध्य सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ने स्थायित्व को प्रश्रय दिया है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक सुरक्षा ने एक प्रमुख जन नीति के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया है।

सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की आधार भूमि है मानवीय सम्मान तथा सामाजिक न्याय की भावना। समाज के प्रति व्यक्ति ने जो कर्तव्य-निर्वाह किया है, उस हेतु समाज ने भी व्यक्ति के भविष्य को सुखद बनाने का कुछ-न-कुछ प्रयत्न किया है। इसी प्रयत्न तथा विचार से भविष्य निधि योजना का जन्म हुआ है।

योजना का जन्म :

भविष्य निधि का प्रावधान कुछ सरकारी सेवाओं तथा उदार सेवायोजकों के यहाँ प्रचलित था, परन्तु

सर्वप्रथम सन् 1948 ई० में इसके लिए एक कानून पारित हुआ—कोयला खदान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम (Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948) इस अधिनियम का उद्देश्य था कि कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था हो, श्रमिकों में बचत की आदत डाली जाए तथा खदानों में कार्यरत श्रमिकों में स्थायित्व आये। आरम्भ में सेवा योजकों तथा श्रमिकों दोनों ने इस अधिनियम का प्रतिरोध किया। सेवायोजकों ने इसे अतिरिक्त व्यय-भार के रूप में सोचा तथा श्रमिकों ने सोचा कि यह आवश्यक (Compulsory) लैबी है। परन्तु बाद के वर्षों में यह योजना ठीक प्रकार से चलने लगी। सभी पक्षों ने इसे स्वीकार किया।

कोयला खदानों की तरह अन्य सेवाओं में भी इसकी मांग होने लगी तथा सन् 1952 ई० में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (Employees' Provident Fund Act, 1952) पारित हुआ। इसी प्रकार असम की विधान सभा ने चाय बगानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सन् 1955 में एक अधिनियम पारित किया—Assam Tea Plantations Provident Fund Act, 1955. जल-यानों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए संसद ने 1966 ई० में कानून बनाया—Seamen's Provident Fund Act, 1966. धीरे-धीरे इस योजना ने विस्तृत आकार ले लिया तथा अब लगभग सभी सेवाओं में इसका प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 :

उपर्युक्त योजना पहली नवम्बर 1952 को संसद में एक अधिनियम पारित होने के पश्चात् लागू हुई। आरम्भ में जहाँ यह अधिनियम केवल छः उद्योगों यथा— सीमेंट, सिगरेट, विद्युत्, यांत्रिकी अथवा सामान्य अभियांत्रिकी उत्पादन, लोहा एवं इस्पात और कागज तथा कपड़ा पर ही लागू होता था, वहीं अब यह 173 उद्योगों। प्रतिष्ठान वर्गों में लागू है।

यह अधिनियम उद्योगों, प्रतिष्ठान वर्गों के अन्तर्गत आनेवाली उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों और प्रतिष्ठान ने अपनी स्थापना के 3 वर्ष पूरे कर लिए हों। यदि किसी प्रतिष्ठान के कई विभाग अथवा शाखाएँ हैं तो उन्हें उसी प्रतिष्ठान का भाग माना जाएगा।

यह अधिनियम “सहकारी समिति अधिनियम, 1912” के अन्तर्गत निबंधित अथवा सहकारी समिति से संबंधित अन्य किसी कानून के अन्तर्गत जहाँ 50 से कम व्यक्ति कार्य कर रहे हों और कारखाना/प्रतिष्ठान बिना विद्युत् की सहायता के चल रहा हो, वहाँ लागू नहीं होता। परन्तु ऐसे कारखाना/प्रतिष्ठान भी अपनी-ईच्छा से इसके कार्यक्षेत्र में आ सकती हैं अगर सेवायोजन तथा अधिकांश श्रमिक इसके लिए अनुरोध करें।

इस निधि का प्रशासन एक त्रिपक्षीय निकाय (केन्द्रीय न्यासी बोर्ड) के द्वारा चलाया जाता है जिसमें श्रमिकों तथा सेवायोजकों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं तथा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों और निरीक्षकों के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाते हैं।

सदस्यता :

ऐसे सभी कर्मचारी जो वेतन पर किसी कारखाना/प्रतिष्ठान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें ठेकेदार द्वारा अथवा ऐसे ठेकेदार के माध्यम से रखे गए कर्मचारी भी

शामिल हैं, जिन पर यह योजना लागू है और कर्मचारियों ने 3 महीने की अवधि के दौरान 60 दिन कार्य कर लिया है अथवा 3 माह की लगातार सेवा कर ली है अथवा उन्हें स्थायी घोषित कर दिया गया है, इनमें से जो भी पहले हो और जिन कर्मचारियों का वेतन 3500/- रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है, वे कर्मचारी इस निधि के सदस्य बनने के पात्र हैं। मौसमी (Seasonal) कारखाना/प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में अथवा जिसे मौसमी कारखाना घोषित नहीं किया गया हो परन्तु वहाँ मौसमी कार्य किया जा रहा हो, तो वह कर्मचारी जिसने ऐसी मौसमी अवधि की दो-तिहाई अवधि में कार्य किया है, यह समझा जाएगा कि उसने तीन माह की सेवा पूरी कर ली है और वह निधि का सदस्य बनने का पात्र होगा। ऐसे कर्मचारी जो उपर्युक्त अपेक्षाएँ पूरी नहीं करते, उन्हें भी निधि का सदस्य पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वे और उसके सेवायोजक आयुक्त को लिखित अनुरोध करें और सेवायोजक देय प्रशासकीय प्रभार वहन करने को सहमत हों और अन्य प्रावधानों का अनुपालन करे। पहली नवम्बर 1990 ई० से नियोजित होने की तिथि से ही कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता का हकदार हो जाता है।

नामांकन :

निधि के सभी सदस्यों को एक नामांकन-फार्म (फार्म सं० 2) प्रस्तुत करना होता है। यदि वह अविवाहित है तो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नामित कर सकता है किन्तु यदि बाद में उसका परिवार बन जाता है जो पूर्व में किया गया उस व्यक्ति के पक्ष में नामांकन जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, रद्द माना जाएगा। परिवार बन जाने पर उसे अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में नया नामांकन करना चाहिए। यदि वह पहले वाले नामांकन में परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे फार्म सं० 8 भरना चाहिए। नामांकन फार्म पर अपने सेवायोजक से हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए तथा कार्यालय द्वारा स्वीकृत नामांकन की प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।

अंशदान की दर :

यदि कोई कर्मचारी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है जहाँ 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हैं तो वहाँ अंशदान की दर सदस्य के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 8.33% है और यदि कोई कर्मचारी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है जहाँ 50 या अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं और प्रतिष्ठान विशिष्ट उद्योग में लगी हुई है तो वहाँ अंशदान की दर वेतन का 10% है।

यदि कर्मचारी और उसका सेवायोजक सहमत हों तो कर्मचारी निर्धारित निम्नतर अंशदान की दर के स्थान पर उच्चतर दर से भी अंशदान कर सकता है। यदि सेवायोजक सदस्य के अंशदान की दर बढ़ाने का इच्छुक नहीं है तो कर्मचारी फार्म सं० 4(क) में आवेदन प्रस्तुत करके अंशदान की दर बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

अंशदान की जमा राशि पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि तय की जाती है। वर्ष 1991-92 का ब्याज-दर 12% है।

वार्षिक लेखा-विवरण :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सदस्य को वर्ष के दौरान जमा राशि की विवरणी जारी की जाती है। इसमें वर्ष के दौरान जमा ब्याज की राशि, निकासी, यदि कोई है, और वर्ष के अंत में शेष राशि का विवरण होता है।

भविष्य निधि खाने का स्थानांतरण :

यदि सदस्य एक सेवा छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर दूसरे उद्योग में सेवा ग्रहण करता है और भविष्य निधि योजना दोनों स्थानों पर लागू है तो वह फार्म सं० 13 में अपने खाने के स्थानांतरण के लिए वर्तमान नियोजक के माध्यम से क्षेत्रीय आयुक्त (जिसके क्षेत्र में उसने अंतिम समय तक सेवा की है) को आवेदन कर सकता है।

जमा राशि की सुरक्षा :

भविष्य निधि खाने में जमा राशि सभी जोखिमों से सुरक्षित है और इस राशि को न्यायालय द्वारा उसके

किसी भी ऋण अथवा वित्तीय उत्तरदायित्व के विरुद्ध संवद्ध नहीं किया जा सकता है।

कर्मचारियों और नियोजकों के किसी भी भाग के अंशदान को नियोजक द्वारा खाते में जमा न कराने पर बंद का प्रावधान है। इसके लिए नियोजक को 1 वर्ष के कारावास का दंड अथवा 5000/- रु० तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएँ दी जा सकती है।

निकासी (Withdrawals)/अग्रिम (Advances) :

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निकासी की सुविधा प्राप्त की जा सकती है —

- (i) जीवन बीमा पालिसियों के विस्तार पोषण हेतु
- (ii) बने बनाए मकान की खरीद के लिए/मकान का निर्माण/आवासीय/मकान के लिए जमीन की खरीद हेतु।
- (iii) अस्थायी रूप से बंद प्रतिष्ठानों के संबंध में।
- (iv) कुछ विशेष बीमारियों की चिकित्सा हेतु।
- (v) विवाह हेतु।
- (vi) वच्चों के मैट्रिकोत्तर शिक्षा हेतु।
- (vii) असाधारण प्रकार की आपदाओं से प्रभावित सम्पत्ति की हानि हेतु।
- (viii) किसी प्रतिष्ठान में विद्युत् आपूर्ति में कटौती के कारण उत्पन्न वेतन-ह्रास के संबंध में।
- (ix) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद हेतु।

भविष्य निधि का अंतिम भुगतान :

निम्न स्थितियों में अंशदान ब्याज सहित पूरा अदा किया जाता है—

- (i) 55 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा निवृत्त होने पर।
- (ii) छूटनी हो जाने पर।
- (iii) स्थायी तौर पर विदेश में बसने के लिए भारत से प्रवास पर।

- (iv) सेवा निवृत्ति की स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत छूटनी होने पर ।
- (v) शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के कारण सेवा निवृत्त होने पर ।
- (vi) मृत्यु होने पर ।
- (vii) अन्य परिस्थितियों में भी सदस्यों के खाते में जमा पूरी राशि अदा की जाएगी किन्तु वास्तविक भुगतान सेवा छोड़ने के दो माह पश्चात् अदा की जाएगी ।

मृत्यु राहत निधि :

इसकी स्थापना मृतक सदस्य के उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदात करने के लिए की गई है । मृत्यु के समय यदि सदस्य का मासिक वेतन 1500/- रु० से अधिक नहीं है तो कम-से-कम 2000/- रु० की राशि प्रदान की जाती है ।

मृतक सदस्य के निधि का भुगतान :

यदि किसी सदस्य की मृत्यु उसके निधि में जमा राशि के भुगतान से पूर्व हो जाती है तो पूरी राशि का भुगतान सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को की जाएगी । यदि किसी को नामित नहीं किया गया है तो राशि उसके परिवार में समान रूप से बांट दी जाएगी ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक लघु आरम्भ से भविष्य निधि योजना ने लम्बी यात्रा तय की है तथा स्वरूप-विस्तार भी किया है । परन्तु अभी भी अनेक उद्योग ऐसे हैं जहाँ कि यह योजना लागू नहीं है अथवा जहाँ 30 से कम लोग कार्यरत हैं, वहाँ भी यह योजना लागू नहीं है । ऐसे स्थानों पर भी यह योजना लागू होनी चाहिए—यही युगीन आवश्यकता है । डा० पी० बी० गजेन्द्र गडवर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने भी ऐसी ही अनुशंसा की है । ●



मेसर्स कामता प्रसाद सिंह

असेनिक विद्युत संवेदक

करकटा, खेलारी, राँची